अनुक्रमाणिका

भाग I

भारत में विदेशी निवेश- रूपरेखा निरूपण

खंड- I: भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

1. भारत में विदेशी निवेश
2. भारत में निवेश हेतु प्रवेश मार्ग
3. भारत में निवेश पर रोक
4. भारत में निवेश के लिए पात्रता
5. लिखतों का स्वरूप
6. लघु उद्योग इकाइयों में निवेश
7. परिसपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निवेश
8. प्रतिभूति बाजार में मूलभूत सुविधाओं वाली कंपनियों में निवेश
9. ऋण-सूचना कंपनियों में निवेश
10. पण्य बाजारों में निवेश
11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में निवेश
12. नेपाल और भूटान से निवेश
13. पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कारपोरेट निकायों (ओसीबीएस) को स्वत्वाधिकार /बोनस शेयर्स जारी करना
14. पूर्ववर्ती ओसीबीएस को स्वत्वाधिकार /बोनस शेयर्स जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति
15. निवासियों द्वारा अनिवासियों को स्वत्वाधिकार शेयर्स का अतिरिक्त आबंटन
16. विलयन और समामेलन योजना के तहत शेयरों का अधिग्रहण
17. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत शेयर्स जारी करना
18. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग
19. निर्गम मूल्य
20. विदेशी मुद्रा खाता
21 शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण
22. प्रतिभूति अंतरण के कुछ मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति
23. सेज द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार/ एक मुश्त फीस/रॉयल्टी /पूंजीगत माल के आयात का ईक्विटी में अंतरण
24. बिक्री प्राप्तियों का प्रेषण
25. एडीआर/जीडीआर के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम
26. दुतरफा फंजिबिलिटी योजना
27. प्रायोजित एडीआर/जीडीआर निर्गम
28. एडीआर/जीडीआर निर्गमों की रिपोर्टिंग
29. समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा निवेश

खंड-II : विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

1. संविभाग निवेश योजना (पीआइएस)
2. संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के तहत निवेश
3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मंदड़िया बिक्री
4. एक्सचेज ट्रेडेड डेरिवेटिव कंट्रैक्टस्

5. प्राधिकृत व्यापार श्रेणी-II बैंकों में में खाते
6. विदेशी संस्थागत निवेशकों के साथ निजी व्यवस्था
7. विदेशी संस्थागत निवेशों की रिपोर्टिंग
8. अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश
9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश पर निगरानी
10. चेतावनी सूची
11. रोक सूची
12. समुद्रपारीय कारपोरेट निकायों (ओसीबीएस) द्वारा निवेश

खण्ड- III- विदेशी उद्यम पूंजी निवेश

उद्यम पूंजी निधि से निवेश

खण्ड- IV-अन्य विदेशी निवेश

1. अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
2. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
3. बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निवेश
4. भारत में बैंकों द्वारा जारी टियर-I तथा टियर-II में विदेशी निवेश

भाग- II

भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण

1. भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण
2. एम्बेसियों/ डिप्लोमेट्स/ कांसुलेट जनरल द्वारा अचल संपत्ति की खरीद/ बिक्री
3. अनुमत कार्यकलाप के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण
4. बिक्री प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन
5. कतिपय देशों के नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति के अधिग्रहण अथवा अंतरण के लिए पूर्वानुमति

भाग- III

भारत में शाखा / संपर्क/ परियोजना कार्यालय खोलना

1. भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन
2. संपर्क कार्यालय
3. विदेशी बीमा कंपनियों का संपर्क कार्यालय
4. शाखा कार्यालय
5. विशेष आर्थिक अंचल स्थित शाखा कार्यालय
6. बैंक की शाखाएं
7. परियोजना कार्यालय
8. विदेशी मुद्रा खाता खोलना
9. भारत में परियोजना कार्यालयों द्वारा सविराम विप्रेषण
10. सामान्य शर्तें
11. कार्यालय का समापन

भाग- IV

साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश

1. साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश
2. प्रत्यावर्तन सुविधाओंवाले निवेश
3. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर अनिवासी द्वारा निवेश

4. निषेध

अनुबंध-1
अनुबंध -2
अनुबंध -3
अनुबंध -4
अनुबंध -5
अनुबंध -6
अनुबंध -7
अनुबंध -8
अनुबंध -9
अनुबंध -10
अनुबंध -11
अनुबंध -12
अनुबंध -13
परिशिष्ट

भाग - I

भारत में विदेशी निवेश - संक्षिप्त निरूपण :

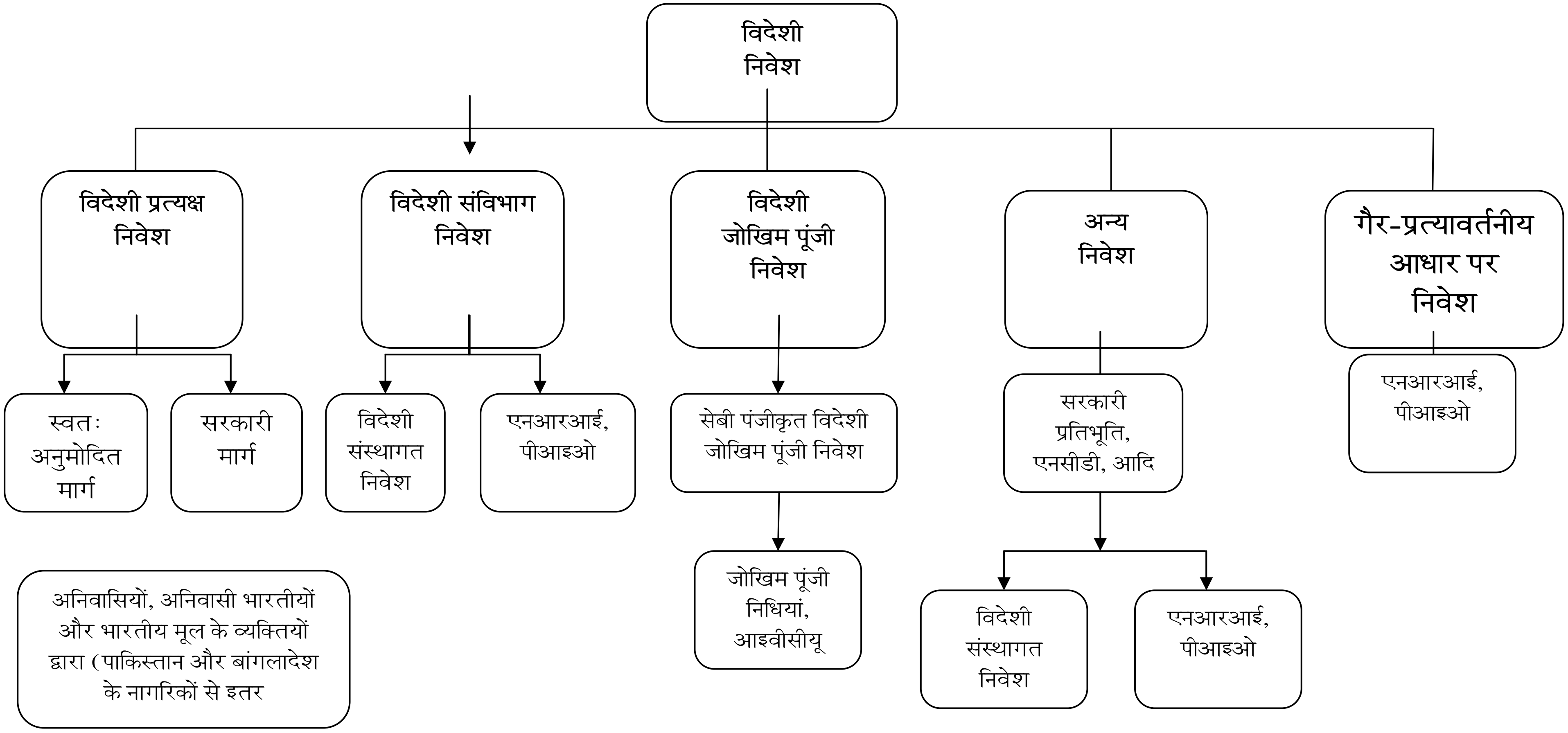

खंड-I: भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

1. **भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश**

भारत में विदेशी निवेश भारत सरकार द्वारा घोषित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 3, 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 20/2000-आरबी जारी की है, जिसमें इससे संबंधित विनियम दिए गए हैं। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

2. **भारत में निवेश के लिए प्रवेश मार्ग**

(i) लगभग सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश मुक्त रूप से अनुमत है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत अनिवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनी के शेयरों/ पूर्ण तथा अनिवार्यतया परिवर्तनीय डिबेंचर्स विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दो मार्गों के तहत किया जा सकता है - स्वतः अनुमोदित मार्ग और सरकारी मार्ग। स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी निवेशक अथवा भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी मार्ग के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है ।

यदि 12 जनवरी 2005 की स्थिति के अनुसार , निवेश के जरिये/तकनीकी गठबंधन/ उसी क्षेत्र , जिसमें कि भारतीय कंपनी जिसके के शेयर जारी किए जा रहे हैं , ट्रेडमार्क एग्रीमेंट है,निवेशक का भारत में कोई उद्यम है अथवा भारत में कोई व्यवस्था है ,उसे शेयर प्राप्त करने के लिए औद्योगिक सचिवालयीन सहायता (एसआईए)/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है । तथापि , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत उद्यम पूंजी निधि से किये जाने वाले निवेशों के लिए शेयरों के निर्गम पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है । यदि मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण / उस व्यक्ति जिसे शेयर जारी किए जाने है , उसका ट्रेडमार्क एग्रीमेंट भी सूचना प्रोद्योगिकी अथवा ख़नन के उसी क्षेत्र में अथवा उसी खनिज के लिए कार्यरत होयह प्रतिबंध बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं अथवा जहाँ पर कि मौजूदा संयुक्त उद्यमों में किसी भी पार्टी कास निवेश 3 प्रतिशत से कम हो , अथवा मौजूदा संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्था निष्क्रिय अथवा रुग्ण अथवा शेयर जारी करने वाली कंपनी सूचना प्रोद्योगिकी अथवा ख़नन क्षेत्र में कार्यरत हो पर भी लागू नहीं है ।

अनिवासी निवेशकों के लिए प्रवेश मार्ग और भारत में क्षेत्र-विशिष्ट निवेश सीमाएं संलग्नक-1 में दी गई हैं।

(ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का निरूपण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित नीति और प्रक्रिया "**दि मैन्युअल ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया - फॉरेन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी एण्ड प्रोसीजर्स**" में उपलब्ध है। यह दस्तावेज पब्लिक डोमेइन में उपलब्ध है तथा इसे वित्त और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के वेबसाइट www.dipp.nic.in /manual/fdi text manual nov 2006 pdf. से डाउनलोड किया जा

सकता है। फेमा विनियम, निवेश के तरीके अर्थात् नधियों की प्राति के तरीके, शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों और अधिमान शेयरों[1] के निर्गम और भारतीय रिज़र्व बैंक को निवेशों की रिपार्टिंग निर्धारित करते हैं।

3. **भारत में निवेश पर निषेध**

निम्नलिखित कार्यकलाप करनेवाला या करने का इरादा रखनेवाले किसी कंपनी अथवा साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा किसी कंपनी चाहे वह निगमित हो या नहीं, में किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश पर निषेध है:

(i) चिट फंड के कारोबार, अथवा
(ii) निधि कंपनी, अथवा
(iii) कृषि अथवा बागान कार्यकलापों, अथवा
(iv) स्थावर संपदा कारोबार अथवा फार्म हाउस का निर्माण, अथवा
(v) अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में ।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थावर संपदा में टाऊनशिप का विकास, रिहायशी/वाणिज्यिक परिसर, सड़क अथवा पुल शैक्षणिक संस्थाएं , मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा स्थानीय स्तर की बुनियादी सुविधाएं , टाउनशिप का विनिर्माण शामिल नहीं है। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फेमा विनियमों के अनुसार निवेशवाले भागीदारी फर्मों/ स्वामित्व प्रतिष्ठानों को प्रिंट मीडिया क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, कतिपय क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में निवेश निषिद्ध है, जैसे

(क) खुदरा व्यापार
(ख) परमाणु ऊर्जा
(ग) लॉटरी कारोबार
(घ) जुआ और सट्टेबाजी
(ङ) चिट फंड का कारोबार
(च) निधि कंपनी
(छ) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार का कारोबार
(ज) वे गतिविधियां/ क्षेत्र जो कि निजी क्षेत्र में निवेश के लिए अनुमत नहीं है
(झ) कृषि, (पुष्पखेती, बागबानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के अधीन सब्जी, मश्रूम आदि की खेती **को छोड़कर**) और बाग़ान (**चाय बाग़ान को छोड़कर**)

[1] यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र में "शेयर" का अर्थ ईक्विटी शेयर, "परिवर्तनीय डिबेंचर" का अर्थ पूर्णतः और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर और "अधिमान शेयर" का अर्थ पूर्णतः और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर है। देखें जून 8, 2007 के एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 73 और 74

4. भारत में निवेश करने के लिए पात्रता

(i) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति[2] (पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर) या भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी (पाकिस्तान में निगमित किसी कंपनी से इतर) भारत सरकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन भारत में निवेश कर सकता है। कोई व्यक्ति जो कि बांगलादेश का नागरिक हो अथवा कोई संस्था जो कि बाग्लादेश में निगमित हो , विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति से भारत में निवेश कर सकता है ।

(ii) समुद्रपारीय निगमित निकाय (ओसीबी) का अर्थ है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 60 प्रतिशत अनिवासी भारतीयों के स्वामित्ववाली एक कंपनी ,साझेदारी फर्म , सोसाइटी और अन्य निगमित निकाय, जिसके समुद्रपारीय ट्रस्ट में कम से कम 60 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किंतु अपरिवर्तनीय हिताधिकार अनिवासी भारतीयों के पास हो । समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) की 16 सितंबर 2003 से निवेशकों के वर्ग के रूप में मान्यता समाप्त कर दी गई है । । पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, जिन्होंने अपने आप को भारत के बाहर निगमित कंपनी में परिवर्तित कर लिया है, को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत यदि निवेश सरकारी मार्ग के तहत है तो भारत सरकार और यदि स्वत: मार्ग के तहत है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से भारत में नये निवेश करने की अनुमति है बशर्ते वे भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के प्रतिकूल सूची में नहीं है।

"भारत से बाहर निवासी व्यक्ति" का अर्थ भारत में निवास न करनेवाला व्यक्ति है;

"भारत में निवासी व्यक्ति" का अर्थ -

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिनों से अधिक दिन भारत में निवास करनेवाला व्यक्ति है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं-

(अ) एक व्यक्ति जो भारत से बाहर गया है अथवा भारत के बाहर रहता है, किसी भी एक मामले में

(क) भारत से बाहर रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा

(ख) भारत से बाहर कारोबार चलाने अथवा भारत से बाहर vocation करने, अथवा

(ग) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत से बाहर अनिश्चित समय के लिए रहने का उनका उद्देश्य दर्शाता हो;

(आ) भारत में आये या रहनेवाले किसी व्यक्ति, किसी भी एक मामले में, निम्नलिखित से इतर -

(क) भारत में रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा

(ख) भारत में कारोबार करने अथवा भारत में व्यवसाय करने, अथवा

(ग) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत में अनिश्चित समय के लिए रहने के उनके उद्देश्य को दर्शाता हो;

(ii) भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय,

iii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी,

(iv) भारत में निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;

---

[2] फेमा (भाग 2 त) के अनुसार "व्यक्ति" की परिभाषा निम्नानुसार है :

(क) एक व्यक्ति,

(ख) एक हिन्दु अपरिभाजित परिवार,

(ग) एक कंपनी,

(घ) एक फर्म,

(ङ) व्यक्तियों का एक संघ अथवा व्यक्तियों का एक निकाय, निगमित अथवा अनिगमित,

(च) प्रत्येक अकृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त उप-खंडों के अंतर्गत न आता हो, तथा

(छ) कोई एजेंसी, कार्यालय अथवा शाखा जो ऐसे व्यक्ति के मालियत में अथवा नियंत्रण में हो;

5. लिखतों के प्रकार

(i) भारतीय कंपनियां फेमा विनियमावली के तहत निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों के शर्तों के अधीन मुक्त रूप से ईक्विटी शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों और अधिमान शेयरों का निर्गम कर सकते हैं।

(ii) अन्य प्रकार निर्गम जैसे कि अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय शेयरों को बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए लागू दिशा-निर्देशों की भाँति ही जारी करना है । चूंकि ये प्रलेख रुपये में मूल्यांकित हैं, रुपया ब्याज दर समकक्ष परिपक्वतावाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए अनुमत स्प्रेड को जोड़कर लिबोर के स्वैप समकक्ष के अधार पर होगा।

(iii) जहाँ तक डिबेंचर्स का प्रश्न है , जो एक विशिष्ट अवधि के भीतर पूर्णतया और अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तनीय हैं , विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन ईक्विटी के भाग के रूप में माना जाएगा।

6. लघु उद्योग इकाइयों में निवेश

(i) किसी विदेशी निवेशक को किसी भारतीय कंपनी, जो लघु उद्योग इकाई है, में निवेश करने की अनुमति है, बशर्ते वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत निषिद्ध कोई कार्यकलाप नहीं करता है। ऐसे निवेश भारतीय कंपनी/लघु उद्योग इकाई के प्रदत्त-पूंजी के **24%** की सीमा के अधीन होंगे। लघु उद्योग इकाई अपनी प्रदत्त पूंजी के **24** प्रतिशत से अधिक के ईक्विटी शेयर/ पूर्णतः परिवतनीय अधिमान शेयर/ पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकता है यदिः

(क) उसने अपनी लघु उद्योग की हैसियत छोड़ दी है;

(ख) वह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण में कार्यरत नहीं है या कार्यरत होने का इरादा नहीं रखता है; और

(ग) वह अनुबंध-1 में विनिर्दिष्ट सेक्टोरल लिमिट का अनुपालन करता है।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज डिवेलप्मेंट एक्ट, 2006 में निर्धारित सीमाओं से अधिक संयंत्र और मशीनरी में निवेश करनेवाली कंपनी/ लघु उद्योग इकाइयों के लिए यह माना जाएगाकि उन्होंने लघु उद्योग हैसियत छोड़ दी है ।

(iii) कोई लघु उद्योग इकाई जो निर्यातोन्मुख इकाई या मुक्त व्यापार अंचल या निर्यात अभिसंस्करण अंचल या साफ्टवेयर तकनीकी पार्क या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क स्थित इकाई हो, संलग्नक-1 में विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रदत्त पूंजी के **24%** से अधिक के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमान शेयर जारी कर सकती है।

7. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निवेश(एआरसीएस)

(i) भारत के बाहर निवासी (विदेशी संस्थागत निवेशकों से इतर) को सरकारी मार्ग के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश की अनुमति है। ऐसे निवेशों के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसे निवेश सुनिश्चित रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वरूपवाले ही होंगे और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशों को अनुमति नहीं है।

(ii) तथापि, सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी किए गए प्रतिभूति रसीदों में निवेश

करने की अनुमति है। विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूति रसीदों की प्रत्येक श्रृंखला के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं बशर्ते प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक श्रृंखला में किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

8. **प्रतिभूति बाजार में बुनियादी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में निवेश**

प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉज़िटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, विदेशी निवेश सेबी विनियमावली के अनुपालन में और निम्नलिखित शर्तों पर अनुमत है :

(i) अलग से 26% की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा और 23% विदेशी संस्थागत निवेश की सीमावाले प्रदत्त पूंजी के 49% तक का विदेशी निवेश इन कंपनियों में अनुमत है;

(ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विशिष्ट पूर्वानुमोदन के साथ अनुमत होगी;

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशक केवल सेकन्डरी बाज़ार में खरीद द्वारा ही निवेश कर सकते हैं।

9. **क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में निवेश**

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (विनियम)अधिनियम,2005 के अनुपालन के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में , विदेशी निवेश अनुमत है :-

(i) समस्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केवल प्रदत्त पूंजी के 49% और विदेशी संस्थागत निवेश प्रदत्त पूंजी का के 24 % तक ही अनुमत है ।

(ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केवल विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की विशिष्ट पूर्व अनुमति तथा भारतीय रिजर्व बैंक से नियंत्रक अनुमति से अनुमत है ।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक 24% की सीमा के भीतर केवल सेकन्डरी बाज़ार में खरीद द्वारा ही निवेश कर सकते हैं।

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश केवल सेकेंडरी मार्केट में खरीद के जरिये 24% तक ही अनुमत है।

(v) कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक , अपने पास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 10 % से अधिक इक्विटी नहीं रख सकता है ।

10. **पण्य बाजारों में निवेश**

पण्य बाजारों में निम्नलिखित शर्तों पर विदेशी निवेश की अनुमति है :-

i. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 26% और विदेशी संस्थागत निवेश की 23%की सीमा सहित 49% तक का विदेशी निवेश की संयुक्त सीमा है;

ii. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन से अनुमत है;

iii. पण्य बाजारों में इक्विटी में विदेशी संस्थागत निवेश खरीदे सेकेंडरी मार्केट तक ही सीमित हैं ।

iv. पण्य बाजारों में विदेशी निवेश भी वायदा मार्केट कमीशन के इस संबंध में जारी विनियमों के अनुपालन के अधीन हैं।

11. **सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवेश**

बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण)अधिनियम 1970/1980 की धारा 3(2घ)के तहत यथा निधारित 20%की समग्र सीमा तक ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा संभागीय निवेश अनुमत हैं। यही सीमा ऐसे निवेशों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक और उसके

सहयोगी बैंकों पर भी लागू है ।

नेपाल और भूटान से निवेश

12. नेपाल और भूटान में निवासी अनिवासी भारतीयों और नेपाल और भूटान के नागरिकों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश करने की अनुमति है बशर्ते ऐसे निवेशों की प्रतिफल राशि का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में आवक प्रेषणों के तौर पर सामान्य बैंकिंग चैनल अथवा अनिवासी भारतीयों के अनिवासी (बाह्य)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते के माध्यम से किया जाएगा।

13. **राइट/बोनस शेयरों का निर्गम**

फेमा के प्रावधान, सैक्टोरल कैप, अगर कोई हो, के अनुपालन के अधीन भारतीय कंपनियों को वर्तमान अनिवासी शेयर धारकों को राइट/ बोनस शेयर मुक्त रूप से जारी करने की सामान्य अनुमति देता है। तथापि, बोनस/ राइट शेयरों के ऐसे निर्गम कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी (डिस्क्लोशर एण्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन) मार्गदर्शी सिद्धांतों (सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में), आदि जैसे अन्य कानून/अधिनियम के अनुसार होने चाहिए। अधिकार आधार पर भारतीय कंपनी द्वारा अनिवासी शेयरधारकों को प्रस्तावित शेयरों का मूल्य निवासी शेयरधारकों को प्रस्तावित शेयरों के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

14. **पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को स्वत्वाधिकारों का निर्गम :**

समुद्रपारीय निगमित निकायों की निवेशकों की एक श्रेणी के रूप में मान्यता को 16 सितंबर, 2003 से हटा लिया गया है। अतः ऐसे पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को अधिकार शेयरजारी करने के इच्छुक कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक से विशिष्ट पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी[3] ।अतः समुद्रपारीय निगमित निकायों को अधिकार शेयरों का हक़ स्वतः उपलब्ध नहीं है। तथापि , पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना शेयर जारी किए जा सकते है ।

15. **निवासियों द्वारा अनिवासियों को अतिरिक्त शेयर स्वत्वाधिकार नियत करना**

वर्तमान अनिवासी शेयरधारकों को अपने राइट शेयरों की पात्रता के अलावा अतिरिक्त शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमान शेयरों के निर्गम के लिए आवेदन करने की अनुमति है। निवेशिती कंपनी अभिदान न दिए गए (अन्सब्स्क्राइब्ड) शेयरों में से अतिरिक्त स्वत्वाधिकार शेयर आबंटित कर सकती है, बशर्ते कंपनी के कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासी को जारी समग्र शेयर क्षेत्रीय सीमा (सेक्टोरल कैप) से अधिक न हो।

16. **समामेलन/विलयन योजना के अंतर्गत शेयरों का अभिग्रहण**

भारत में कंपनियों का विलयन या समामेलन सामान्यतः, विलयन/ समामेलित हो रही कंपनियों द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर एक सक्षम कोर्ट के आदेश द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक बार दो या अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन या समामेलन की योजना भारत में किसी कोर्ट द्वारा अनुमोदित किए जाने पर अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी, अंतरणकर्ता कंपनी के भारत से

---

[3] मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को संबोधित

बाहर निवासी शेयर होल्डरों को शेयर जारी कर सकती है बशर्ते :

(i) अंतरिती अथवा नई कंपनी में भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों की शेयरधारिता का प्रतिशत सेक्टोरल कैप से अनधिक है।

(ii) अंतरणकर्ता कंपनी या अंतरिती या नई कंपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति (उपर्युक्त का पेरा 3 देखें)में निषिद्ध कार्यकलाप में कार्यरत नहीं है।

17. **कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपीएस) के अंतर्गत शेयर जारी करना**

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी ईएसओपीएस के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को या विदेश स्थित अपने संयुक्त उद्यम या पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों को, जो पाकिस्तानी नागरिक से इतर हों, शेयर जारी कर सकती है। ईएसओपी के अंतर्गत शेयर सीधे ही या किसी न्यास के जरिए जारी किए जा सकते हैं बशर्ते :

(क) योजना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अनुसार बनाई गई हो; और

(ख) योजना के अंतर्गत अनिवासी कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों के अंकित मूल्य जारीकर्ता कंपनी की प्रदत्त पूंजी के **5** प्रतिशत से अधिक न हो।

(ii) अगर कंपनी सूचीबद्ध न हो तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। भारतीय कंपनी, पाकिस्तान और बांगलादेश के नागरिकों से इतर भारत के बाहर निवासी कर्मचारियों को ईएसओपी जारी कर सकती है।

(iii) जारीकर्ता कंपनी, ईएसओपी के अंतर्गत शेयरों को जारी करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर ऐसे निर्गमों के ब्योरे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करे।

18. **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग**

(i) **आवक प्रेषणों की रिपोर्टिंग :**

(क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमान शेयर के निर्गम के लिए भारत के बाहर से निवेश प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी, आवक प्रेषणों के ब्योरे प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक को **अनुबंध 6** में दिये गये फॉर्म में रिपोर्ट करे। फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट www.rbi.org.in/Scripts/view Fema Forms.aspx.से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(ख) भारतीय कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमान शेयर के निर्गम के लिए भारत के बाहर से निवेश प्राप्त राशि के ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी के जरिये रिपोर्ट करें और उसके साथ विदेश से धन प्रेषण करने वाले बैंक से प्राप्त अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिये " रिपोर्ट (अनुबंध -7 के अनुसार) तथा प्रेषण प्राप्ति के सबूत के तौर पर एफआईआरसीएस की प्रति/प्रतियां भी प्रस्तुत करे। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्ति की पावती दी जायेगी और रिपोर्ट की गयी राशि के लिए एक यूनीक नंबर (यूएनआई)आबंटित किया जायेगा ।

(ii) **समय सीमा जिसके भीतर शेयर जारी किये जाने हैं**

आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता डेबिट करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखत जारी कर दिए जाने चाहिए । यदि आवक

प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता डेबिट करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखत नहीं जारी किये जाते हैं तो उस स्थिति में प्राप्त प्रेषण की राशि सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिये अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता को क्रेडिट करके तत्काल उसे लौटा दी जाये । उपर्युक्त प्रावधान न किये जाने पर इसे फेमा के तहत उल्लघन माना जायेगा और दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी । अपवाद स्वरूप , आवक प्रेषण की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त प्रेषण की राशि न लौटाये जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे मामले में उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा ।

(iii) शेयरों के निर्गम की रिपोर्टिंग

(क) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत पूर्णतया/ आंशिक रूप में जारी शेयरों (स्वत्वाधिकार आधार पर जारी बोनस तथा शेयरों सहित) और अनिवार्यतया परिवर्तनीय डिबेंचर्स/ पूर्णतया तथा अनिवार्यतया परिवर्तनीय अधिमान शेयरों जारी करने के बाद भारतीय कंपनियों को शेयर जारी करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर फार्म एफसी - जीपीआर में (संलग्न अनुबंध -8 में) एक रिपोर्ट दर्ज करना है । फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट www.rbi.org.in/Scripts/view Fema Forms.aspx.से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(ख) फार्म एफसी-जीपीआर का भाग-अ, कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक / सेक्रेटरी द्वारा विधिवत भरने और हस्ताक्षरित होने के बाद कंपनी के प्राधिकृत व्यापारी को प्रेषित किया जाए और प्राधिकृत व्यापारी उसे रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करेगा। भाग-अ, के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अपेक्षित है ;

(i) कंपनी के सचिव से यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र कि :

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;

(ख) सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हो, का पालन किया गया है;

(ग) कंपनी इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए पात्र है; तथा

(घ) कंपनी के पास प्रतिफल की राशि की प्राप्ति के सत्यापन में भारत में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं;

(ii) भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के तरीके दर्शाते हुए सांविधिक लेखाकार अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।

(ग) *निवेश प्राप्त करने के साथ साथ एफसी-जीपीआर की एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।*

(घ) *एफसी-जीपीआर का भाग-आ वार्षिक आधार पर सीधे रिजर्व बैंक के पास फाइल किया जाए7 । यह एक वार्षिक विवरणी है जो कि पिछले वर्ष वर्ष के दौरान (अर्थात् भाग- आ में 31 जुलाई 2008 को फाइल की गई जानकारी पिछले वर्ष 31मार्च 2008 तक किये गये भारतीय कंपनियों निवेशों से संबंधित होगी),प्रत्यक्ष/संविभाग निवेश/पुनःनिवेशित अर्जनों/अन्य भारतीय कंपनियों में किये गये निवेशों के संबंध में सभी कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई फाइल किया जाना है ।*

(ङ) *निवेशों के संबंध में दी जानी वाली जानकारी में तुलनपत्र की तारीख को किसी कंपनी में किये गये सभी बकाया निवेश सम्मिलित रहेंगे । विदेशी प्रत्यक्ष/संविभाग,दोनों निवेशों के ब्योरे अलग से निर्दिष्ट किये जायें । **30.*** भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को सीधे अथवा वर्तमान भारतीय कंपनी के साथ समामेलन/विलयन पर बोनस/अधिकार शेयर अथवा स्टॉक विकल्प के निर्गम और बाह्य वाणिज्यिक उधार/ रॉयल्टी/एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा माल

आयात के परिवर्तन पर शेयर के निर्गम को फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करना ह

19. **निर्गम मूल्य**

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत , भारत से बाहर रह रहे निवासी व्यक्तियों को जारी किए गए शेयरों के मूल्य की गणना, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मामलों में सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में शेयरों का मूल्यांकन सनदी लेखाकार पूंजी निर्गम के पूर्ववर्ती नियंत्रक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

20. **विदेशी मुद्रा खाता**

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को शेयर के निर्गम करने के लिए पात्र भारतीय कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से विदेशी मुद्रा खाते में शेयर अभिदान राशि रखने की अनुमति दी जाएगी।

21. **शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण**

विदेशी निवेशकों को भी भारतीय शेयरधारकों अथवा अन्य अनिवासी शेयरधारकों से शेयर की खरीद/अधिग्रहण द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश करने की अनुमति है। अनिवासियों/ अनिवासी भारतीयों को निम्नलिखित शर्तों पर अंतरण के तौर पर शेयर अधिग्रहण करने की सामान्य अनुमति है :-

(क) भारतीय के बाहर निवासी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय और समुद्रपारीय निगमित निकाय से इतर) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय सहित) को बिक्री अथवा उपहार के तौर पर शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर का अंतरण कर सकता है।

(ख) अनिवासी भारतीय व्यक्ति अपने पास धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर बिक्री अथवा उपहार के तौर पर दूसरे अनिवासी भारतीय को अंतरण कर सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों मामलों में, अगर 12 जनवरी 2005 को अंतरिती का भारत में उसी क्षेत्र में निवेश/ तकनीकी सहयोग/ ट्रेड मार्क करार पूर्व वेंचर अथवा टाइ-अप है जिसमें वह कंपनी, जिसका शेयर अंतरित किया जा रहा है, कार्यरत है, तो उसे एसआइए/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। तथापि,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों ,बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (अर्थात् एडीबी, आइएफसी, सीडीसी, डीईजी) अथवा जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यम मे दोनो में से किसी भी एक पार्टी द्वारा 3% से कम का निवेश हो अथवा जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यम /सहयोगी संस्था निष्क्रि य अथवा रुग्ण हो अथवा शेयरो. के अंतरण के लिए भारतीय कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अथवा खदान के क्षेत्र में कार्यरत हो , यदि मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण/ उस व्यक्ति जिसको कि शेयरों का अंतरण किया जाना है वह भी सूचना प्रौद्योगिकी अथवा खदान के क्षेत्र में / उसी खनिज में कार्यरत हो तो शेयरो के अंतरण के लिए यह निषेध लागू नहीं है।

(ग) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर किसी भी प्रतिभूति का अंतरण कर सकता है।

(घ) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति किसी पंजीकृत ब्रोकर अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर के माध्यम से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर बेच सकता है।

(ङ) भारत में निवासी व्यक्ति , अनुबंध -3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत वित्तीय सेवा क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बीमा, एआरसी और सेक्यूरिटी मार्केट में मूलभूत सेवाएं प्रदान करनेवाले जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, निक्षेपागार और मंडियां आदि) से इतर

क्षेत्र में भारतीय कंपनी के शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर (प्रयोजक के शेयर के अंतरण सहित) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को निजी आयोजन के तहत बिक्री के तौर पर अंतरित कर सकता है।

(च) **अनुबंध** -3 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को भी बिक्री के तौर पर निजी व्यवस्था के तहत भारत में निवासी व्यक्ति को शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरित करने की सामान्य अनुमति है।

(छ) उपर्युक्त सामान्य अनुमति, पहले सरकारी मार्ग से कवर किए गए किन्तु अब स्वतः अनुमोदित के तहत आनेवाले कार्यकलाप में लगी हुई भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को निवासियों से अनिवासी को अंतरित करने तथा कंपनी के बाय-बैक और/अथवा पूंजी कम करने की योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी को अनिवासी द्वारा शेयरों के अंतरण के लिए भी उपलब्ध है। तथापि, यह सामान्य अनुमति **वित्तीय सेवा क्षेत्र** (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एआरसी) , प्रतिभूति बाजार में बीमा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यकलाप (जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कारपोरेशन, निक्षेपागो और मंडियों आदि) में लगी किसी कंपनी के शेयर/ डिबेंचर के अंतरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ii) निवासियों और अनिवासियों तथा अनिवासियों और निवासियों के बीच शेयरों के अंतरण की रिपोर्टिंग फार्म एफसी-टीआरएस (संलग्नक-7 में संलग्न) में की। यह फार्म प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रेषित किया जाना है, जो उसे अपने लिंक कार्यालय को अग्रेषित करेगा। लिंक कार्यालय फार्म को समेकित करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक को एक मासिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(iii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये ईक्विटी लिखितों की बिक्री से प्राप्त राशि जो कि सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिये भारत को प्रेषित की गई थी , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा धन प्राप्ति के समय ही उसकी ' अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों के तहत जांच-पड़ताल करना अपेक्षित है । यदि प्रेषण प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक और अंतरण लेनदेन का कारोबार कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक अलग अलग हों तो ' अपने ग्राहक को जानिए' संबधी जांच-पड़ताल प्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा की जाये और ग्राहक द्वारा फॉर्म एफसी-टीआरएस के साथ ' अपने ग्राहक को जानिए' की रिपोर्ट अंतरण लेनदेन का कारोबार कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को प्रस्तुत की जाये ।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को अनिवासी कॉर्पोरेट्स द्वारा ओपन ऑफर/ एक्ज़िट ऑफर और डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स के लिए एस्क्रौ खाता और विशेषा खाता खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। संबद्ध सेबी (एसएएसटी) विनियमावली अथवा अन्य लागू सेबी विनियमावली/ कपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होंगे।

22. **प्रतिभूति अंतरण के कतिपय मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति**

(i) निवासियों से अनिवासियों को बिक्री के तौर पर शेयरों के अंतरण के निम्नलिखित मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है :

(क) वित्तीय क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, बीमा और प्रतिभूति बाजार में बुनियादी सुविधा प्रदाता जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और मंडियों आदि)) में कार्यरत भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण।

(ख) सेबी (सब्स्टैन्शियल एक्विसिशन आफ़ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 के प्रावधानों के दायरे में आनेवाले लेनदेन।

(ग) किसी भारतीय कंपनी का कार्यकलाप जिसकी प्रतिभूतियं अंतरित की जा रही है सवतत-

अनुमोदित मार्ग के दायरे में नहीं आती हैं और उपर्युक्त अंतरण हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है ।

(घ) जब अंतरण उस मूल्य पर किया जा रहा हो जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट के मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के दायरे के बाहर हो ।

(ङ) ईक्विटी लिखतों का अंतरण जहाँ पर कि अनिवासी अर्जक प्रतिफल की राशि का भुगतान स्थगित रखने का प्रस्ताव देता है , वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है । इसके अतरिक्त , यदि लेनदेन के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है है तो , उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित फॉर्म एफसी-टीआरएस में प्रतिफल की पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया जाये ।

(ii) निवासियों से अनिवासियों को बिक्री द्वारा अथवा अन्यथा शेयरों के अंतरण के निम्नलिखित मामलों में सरकार के अनुमोदन और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति अपेक्षित है :

(क) कंपनी का कारोबार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के दायरे में है अथवा कंपनी ने कंपनी में विदेशी ईक्विटी के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।

(ख) लागू सेक्टोरल सीमाओं के उल्लंघन करते हुए कंपनी शेयरों का अंतरण जिसका परिणाम भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश होता हो

(iii) भारत में निवासी व्यक्ति, जो किसी प्रतिभूति को उपहार के तौर पर भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करें । किसी प्रतिभूति को उपहार के तौर पर अंतरण की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन भेजते समय अनुबंध - 4 में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किये जायें । भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है :

(क) प्रस्तावित आदाता (donee), समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आर की अनुसूची 1, 4 और 5 के तहत ऐसी प्रतिभूति धारित करने के लिए पात्र है।

(ख) उपहार भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी/ डिबेंचर के प्रत्येक सिरीज़/ प्रत्येक म्यूचुअल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(ग) भारतीय कंपनी में लागू सेक्टोरल सीमा/ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) अंतरणकर्ता (दाता) और अंतरिती (आदाता) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित निकट संबंधी हैं। चालू सूची संलग्नक 5 में पुन:प्रस्तुत की गई है।

(ङ) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर अंतरिती द्वारा पहले से अंतरित किसी प्रतिभूति को जोड़कर अंतरण की जानेवाली प्रतिभूति का मूल्य एक **कैलण्डर वर्ष के दौरान 25,000** अमरीकी डॉलर के रुपये के समतुल्य से अधिक न हो ।

(च) लोक हित में समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य शर्तें

23. विशेष आर्थिक अंचल स्थित इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उधार/ एकमुश्त शुल्क/ रॉयल्टी / निर्यात माल का ईक्विटी में परिवर्तन

(i) भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार के शेयर/ अधिमान शेयर में परिवर्तन की सामान्य अनुमति दी गई है।

क) कंपनी के कार्यकलाप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत कवर

किए गए हैं अथवा कंपनी में विदेशी ईक्विटी के लिए कंपनी ने सरकारी अनुमोदन प्राप्त किया है,

ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार ईक्विटी में परिवर्तन के बाद विदेशी ईक्विटी सेक्टोरल सीमा, यदि कोई हो, के अंदर है,

ग) शेयरों का मूल्य निर्धारण, सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में सेबी विनियमावली/ पूर्ववर्ती सीसीआइ मार्गदर्शी सिद्धांत, जैसा मामला हो, के अनुसार है।

घ) लागू किसी अन्य कानून अथवा विनियम के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन।

(ङ) परिवर्तन सुविधा स्वतः अनुमोदित अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए उपलब्ध है। यह बाह्य वाणिज्यिक उधार, चाहे वे भुगतान के लिए देय हो या न हो, और अनिवासी सहयोगी संस्थाओं से लिए गए सुरक्षित/ असुरक्षित ऋणों के लिए भी लागू होगा।

(ii) स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा एसआइए/ एफआइपीबी मार्ग के तहत एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क, रॉयल्टी पर शेयर/ अधिमान शेयर के निर्गम के लिए भी सामान्य अनुमति उपलब्ध है, बशर्ते यह सेबी/सीसीआइ के मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत हो और कर संबंधी लागू कानूनों का अनुपालन किया गया हो।

(iii) विशेष आर्थिक अंचल स्थित इकाइयों को **पूंजी माल** के आयात पर अनिवासियों को ईक्विटी शेयर के निर्गम की अनुमति है, बशर्ते मूल्यांकन ऐसी समिति द्वारा सत्यापित की जाए जिसमें डेवलेप्मेंट कमीशनर और उचित सीमा शुल्क अधिकारी शामिल हों।

(iv) **रिपोर्टिंग**

बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन पर शेयर के निर्गम के ब्योरे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निम्नवत् रिपोर्ट किया जाए :

क) बाह्य वाणिज्यिक उधार की ईक्विटी में **पूर्ण परिवर्तन** के मामले में कंपनी ऐसे परिवर्तन, संबद्ध महीने के अंत से सात कार्य दिवस के अंदर, फार्म एफसी-जीपीआर में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को और फार्म **ईसीबी-2** में सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051 को रिपोर्ट करे। **ईसीबी-2** फार्म के ऊपरी भाग में "ईक्विटी में पूर्ण रूप से परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। एक बार रिपोर्ट करने पर बाद के महीनों में **ईसीबी-2** फाइल करना आवश्यक नहीं है।

ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार के **आंशिक परिवर्तन** के मामले में कंपनी, परिवर्तित भाग को अपरिवर्तित भाग से स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाते हुए, परिवर्तित भाग की रिपोर्टिंग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर और **ईसीबी-2** में करे। **ईसीबी-2** फार्म के ऊपरी भाग में "ईक्विटी में आंशिक रूप से परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार का शेष भाग सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को **ईसीबी-2** फार्म में रिपोर्ट किया जाए।

ग) उपर्युक्त तरीके से ईक्विटी के निर्गम करने वाली विशेष आर्थिक अंचल इकाई निर्गमित शेयरों के ब्योरे फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करें।

24. **बिक्री आय का प्रेषण**

प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारत के बाहर निवासी शेयर के विक्रेता को किसी प्रतिभूति के बिक्री आय के प्रेषण (लागू करों के निवल) की अनुमति दे सकता है बशर्ते प्रतिभूति प्रत्यावर्तन आधार पर धारित किया गया हो, प्रतिभूति की बिक्री निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया हो और आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र प्रेषित किया गया हो।

25. **कंपनियों के बंद होने/ परिसमापन पर विप्रेषण**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनमति प्रदान की गई है कि वे भारत में बंद हो रही उन कंपनियों को जो कि परिसमापन के अधीन हैं की परिसमापन -आय को करों का भुगतान करते हुए प्रेषित करें । इन कंपनियों का परिसमापन कोर्ट द्वारा जारी किसी आदेश के अनुसरण में अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से कार्यालयीन परिसमापन के कारण हो सकता है । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विप्रेषण की अनुमति देंगे बशर्ते कि आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

(i) विप्रेषण के लिए आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा आयकर बेबाकी प्रमानपत्र

(ii) लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि भारत में अपनी सभी देयताएं अदा कर दी गयी हैं अथवा पर्याप्त प्रावधान कर लिया गया है ।

(iii) लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि कंपनी के परिसमापन कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है ।

(iv) कोर्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार से कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि उस कंपनी के विरुध्द भारत में किसी कोर्ट में कोई मुदमा नहीं चल रहा है अथवा कंपनी परिसमापन के अधीन नहीं है और विप्रेषण की अनुमति देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है ।

26. **एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम**

i) डिपाजिटरी रसीदें ,भारतीय कंपनी की ओर से किसी डिपाजिटरी बैंक द्वारा भारत के बाहर जारी परक्राम्य प्रतिभूति हैं जो भारत में कस्टोडियन बैंक द्वारा अमानत के तौर पर धारित कंपनी के स्थानीय रुपया मूल्यवर्ग के ईक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। अमरीका, सिंगापुर, लक्ज़म्बर्ग आदि देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में डिपाजिटरी रिसीट के लेनदेन किए जाते हैं। अमरीकी बाज़ारों में सूचीबद्ध और खरीदे-बेचे जानेवाले डिपाजिटरी रिसीट को अमेरिकन डिपाजिटरी रिसीट (एडीआर) कहा जाता है और अन्य देशों में सूचीबद्ध और खरीदे-बेचे जानेवाले डिपाजिटरी रिसीट को ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट (जीडीआर) कहा जाता है। भारत में डिपाजिटरी रिसीटों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश माना जाता है।

ii) भारतीय कंपनी, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयरों के निर्गम (डिपाजिटरी रिसीट मेकनिज़म के माध्यम से) योजना, 1993 और समय-समय पर उसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में एडीआर/जीडीआर के निर्गम के माध्यम से विदेश में विदेशी मुद्रा संसाधन उगाह सकते हैं।

iii) कंपनी एडीआर/जीडीआर जारी कर सकती है अगर वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के लिए पात्र है। तथापि, एक विदेशी सूचीबद्ध कपनी जो भारतीय पूंजी बाज़ार से निधि उगाहने के लिए पात्र नहीं है, ऐसी कंपनी सहित, जिसके प्रतिभूति बाजार में पहुंच पर सेबी ने रोक लगाई है एडीआर/जीडीआर जारी करने के लिए पात्र नहीं है।

iv) ऐसे समुद्रपारीय लिखतों के निर्गम करने के इच्छुक असूचीबद्ध कंपनियों को, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पूंजी उगाहने के लिए अब तक एडीआर/जीडीआर मार्ग का उपयोग नहीं किया है, घरेलू बाज़ार में पहले से या साथ-साथ सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है। असूचीबद्ध कंपनियों को, जो

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहले ही एडीआर/जीडीआर जारी कर चुकी हैं, लाभ कमाने की शुरुआत पर अथवा ऐसे एडीआर/जीआर के निर्गम के तीन वर्ष के अंदर, जो भी पहले हो, घरेलू बाज़ार में सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है।

भारतीय कंपनी निर्गम के अग्रणी प्रबंधक से सलाह मशविरा कर निकाले गए अनुपात के आधार पर एडीआर/जीडीआर जारी कर सकती है। इस तरह उगाहे गए प्राप्यों को उस समय तक विदेश में रखा जाए जब तक भारत में उनकी वास्तव में जरूरत न हो। प्राप्यों के प्रत्यावर्तन अथवा उपयोग तक भारतीय कंपनी निम्नलिखित में निधियों को निवेश कर सकती है :-

(क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर, फिच, आइबीसीए और मूडीज़, आदि द्वारा रेटिंग किए गए बैंकों द्वारा प्रस्तावित सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अथवा अन्य लिखतों के साथ प्रस्तावित जमा और ऐसे रेटिंग समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रेटिंग से कम न हो।

(ख) भारत में प्राधिकृत व्यापारी का भारत के बाहर स्थित शाखा में जमा, और

(ग) एक वर्ष अथवा उससे कम की परिपक्वता अथवा असमाप्त परिपक्वता अवधिवाले खजाना बिल और अन्य मौद्रिक लिखतें।

(v) ऐसी निधियों को स्थावर संपदा अथवा स्टॉक मार्केट में अभिनियोजन/निवेश पर निषेध से इतर कोई अंतिम उपयोग प्रतिबंध नहीं है। भारतीय कंपनी द्वारा एडीआर/जीडीआर उगाहे जाने पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं है।

(vi) एडीआर/जीडीआर की आय का उपयोग विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण अधिग्रहण साथ ही उनके अपेक्षित महत्व को देखते हुए जनता को अनिवार्य द्वितीय चरण प्रस्ताव में भी किया जा सकता है ।

(vii) इस योजना के तहत जारी शेयरों पर मतदान का अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार और ऐसे तरीके से होगा जिसमें एडीआर/ जीडीआर निर्गमों पर लगाया गया मतदान अधिकार पर प्रतिबंध कंपनी कानून के प्रावधानों से संगत होगा। बैंकिंग कंपनी के मामले में मतदान अधिकार के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम मतदान अधिकार का प्रयोग करनेवाले सभी शेयरधारकों पर लागू रहेंगे।

(viii) पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकाय, जो पोर्टफोलियो मार्ग के माध्यम से भारत में निवेश के लिए पात्र नहीं हैं और सेबी द्वारा प्रतिभूति खरीदने, बेचने और उसमें कारोबार करने की मनाहीवाले कंपनियां, एडीआर/जीआर में अभिदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ix) एडीआर/जीडीआर निर्गमों का मूल्यांकन,विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंड और सामान्य शेयर (डिपोजिटरी रसीद मैकेनिज्म के जरिये) योजना 1993 और भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गम योजना के प्रावधानों के तहत तय कीमत पर एडीआर/जीडीआर निर्गमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

(ix) प्रायोजित एडीआर/जीडीआर निर्गमों का मूल्यांकन,विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंड और सामान्य शेयर (डिपोजिटरी रसीद मैकेनिज्म के जरिये) योजना 1993 और भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गम योजना के प्रावधानों के तहत तय कीमत पर किया जायेगा ।

27. **द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली**

एडीआर/जीडीआर के लिए भारत सरकार ने सीमित द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली शुरूकी है। इस योजना के तहत सेबी में पंजीकृत भारतीय दलाल समुद्रपारीय निवेशक से प्राप्त अनुदेश के आधार पर एडीआर/जीडीआर में परिवर्तन के लिए बाजार से शेयर खरीद सकता है।

एडीआर/जीडीआर को पुनः जारी करने की अनुमति एडीआर/जीडीआर की उस सीमा तक होगी जो घरेलू बाजार में निहित शेयरों के रूप में भुनाया गया है और भारतीय बाज़ार में बेचा गया है।

28. **प्रायोजित एडीआर/ जीडीआर निर्गम**

29. **एडीआर/जीडीआर निर्गमों की रिपोर्टिंग**

एडीआर/जीडीआर जारी करने वाली भारतीय कंपनी, ऐसे निर्गम के पूर्ण ब्योरे **अनुबंध-10** में संलग्न फॉर्म में, निर्गम के बंद होने की तारीख से 30 दिन के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करे। कंपनी **अनुबंध-11** में संलग्न फार्म में एक तिमाही विवरणी भी कैलेंडर तिमाही के बंद होने से 15 दिन के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करे। तिमाही विवरणी तब तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जब तक कि भारती रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार , एडीआर/जीडीआर मैकेनिज्म के जरिये उगाही गई पूरी रकम यता तो भारत को प्रत्यावर्तित न कर दी जाये अथवा विदेश में उसका उपयोग न कर लिया जाये ।

भाग II :विदेशी संविभाग निवेश

1. **संविभाग निवेश योजना**

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने के लिए पात्र हैं।

(ii) सेबी द्वारा पंजीकरण प्रदान किए गए विदेशी संस्थागत निवेशक विदेशी मुद्रा खाता और/ अथवा अनिवासी रुपया खाता खोलने के लिए अपने नामित प्राधिकृत बैंक (कस्टोडियन बैंक के रूप में जाने जाते हैं) से संपर्क करें।

(iii) अनिवासी भारतीय, योजना के तहत निवेश के लिए अनिवासी बाह्य खाता/ अनिवासी सामान्य खाता खोलने की अनुमति के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित नामित शाखा में आवेदन करे।

2 **विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश**

सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता को संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक ने सामान्य अनुमति प्रदान की है।

(i) **शेयरधारिता**

(क) इस योजना के तहत प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते की कुल धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत या भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/ उपलेखाओं की सामूहिक रूप से कुल धारिता प्रदत्त पूंजी या परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

24 प्रतिशत की यह सीमा निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किए गए संकल्प और बाद में आम सभा द्वारा पारित उसी आशय के विशेष संकल्प द्वारा संबंधित भारतीय कंपनी को यथा लागू सेक्टोरल

कैप/सांविधिक सीमा तक बढ़ाई जा सकती है।

(ग) किसी घरेलू परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी अथवा संविभाग प्रबंधक जो किसी उप-खाते के निधियों के प्रबंधन के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में सेबी के पास पंजीकृत हो, संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित की ओर से निवेश कर सकता है ;

(i) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जो विदेशी देश का नागरिक हो, अथवा

(ii) भारत के बाहर पंजीकृत निगमित निकाय

बशर्ते ऐसा निवेश उगाही अथवा वसूली गई अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यम से बाहर से लाई गई निधियों से किया गया हो। ऐसी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश कुल प्रदत्त पूंजी के **5** प्रतिशत अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रदत्त मूल्य के **5** प्रतिशत से अधिक न हो और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निर्धारित सकल सीमा से भी अनधिक हो।

(ii) निवेशों पर निषेध

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी ईक्विटी में निवेश करने के लिए अनुमति नहीं है।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऐसी किसी कंपनी में निवेश करने की भी अनुमति नहीं है जो निम्नलिखित कार्यकलापों में कार्यरत है अथवा कार्य करना चाहता है :

i) चिट फंड कारोबार, अथवा

ii) निधि कंपनी, अथवा

iii) कृषि अथवा बागबानी कार्यकलाप अथवा

iv) स्थावर-संपदा कार्यकलाप अथवा फार्म हाउस का निर्माण

v) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में कारोबार

उपर्युक्त "स्थावर संपदा कारोबार" में टाउनशिप, निवासी/ वाणिज्यिक परिसर, सड़क अथवा पुल का निर्माण शामिल नहीं है।

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मंदड़िया बिक्री

सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-लेखों को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने की अनुमति है। भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री, उधार देना तथा उधार लेना उन शर्तों के अधीन है जो कि इसकी तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी / अन्य नियंत्रक एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें । उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों को ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने में सहभागिता मौजूदा विदेश प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुरूप होगी और विदेशी संस्थागत निवेशकों को उन ईक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री की अनुमति न होगी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की रोक सूची/ चेतावनी सूची में होंगे ।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयर केवल मंदड़िया बिक्री के प्रयोजन से उधार लिए जायेंगे ।

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मार्जिन /संपार्श्विक केवल नकद रूप में रखी जायेगी। इस मार्जिन /संपार्श्विक पर विदेशी संस्थागत निवेशकों को कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

4. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाएं

(i) सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्थिति सीमा के अधीन भारत में मान्यता प्राप्त एक्स्चेंजों में सभी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार करने की अनुमति है। सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों/ उप-खाता उनके

विशेष अनिवासी रुपया खाता के अंतर्गत पृथक खाता खोल सकते हैं जिसके माध्यम से एक्सचेंजों में ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार/ निवेश संबंधी सभी प्राप्तियां और भुगतान (आरंभिक मार्जिन और मार्क टू मार्केट निपटान, लेनदेन प्रभार, दलाली, आदि) किए जाएंगे। इसके अलावा, एक्सचेंज में ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार के प्रयोजन के लिए विशेष अनिवासी रुपया खाता और रखे गए उप-खाता में मुक्त रूप से लेनदेन किया जा सकता है। फिर भी, रुपया राशि का प्रत्यावर्तन संबंधित करों के भुगतान के अधीन उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते के माध्यम से ही किए जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारी बैंक को उपर्युक्त पृथक खाते का उचित रिकार्ड रखना है और यथावश्यक उसे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना है।

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशक डेरिवेटिव्स खंड में अपने लेनदेन के लिए जमानत के रूप में भारत स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को अअअ(AAA) रेटिंगवाले विदेशी सर्वोत्तम राजकीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त , स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉरपोरेशन्स तथा उनके समाशोधन सदस्यों को इस संबंध में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन निम्नलिखित लेनदेनों की अनुमति है ।

(क) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संपार्श्विक रूप में प्रस्तुत की गई विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां अधिग्रहीत करने, रखने , गिरवी रखने तथा अंतरित करने और विदेशी निक्षेपागारों में डि-मैट खाते खोलना तथा उनका संचालन के लिए ।

(ख) यदि किन्हीं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों पर कारपोरेट कार्य के कारण होने वाली आगम राशि बनती है तो उसे प्रेषित करना ।

(ग) यथा आवश्यक, ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का परिसमापन ।

(iii) क्लियरिंग कॉरपोरेशन को अपने ग्राहकों की गैर-नकदी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखी हुई विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों के अधिशेष की मासिक आधार पर अनवर्ती माह की 10 तारीख तक एक रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी ।

5. प्राधिकृत व्यापारियों के पास खाते

i) विदेशी संस्थागत निवेशक/उप खाते निवेश के प्रयोजन से किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में विदेशी मुद्रा खाता और/ अथवा विशेष अनिवासी रुपया खाता खोल सकते हैं।

ii) विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) विनियमावली, 1995 के अनुसार प्रतिभूतियों में वास्तविक निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा खाता से विशेष अनिवासी रुपया खाते में रकम अंतरित कर सकते हैं।

iii) यह राशि विदेशी मुद्रा खाते से रुपया खाते में प्रचलित बाज़ार दर पर अंतरित की जाये और प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रत्यावर्तनीय आय (कर के भुगतान के पश्चात) विशेष अनिवासी रुपया खाते से विदेशी मुद्रा खाते में अंतरित कर सकते हैं।

iv) शेयरों/ डिबेंचरों, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों की बिक्री आय, आदि विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक संबंधित निवेशिती कंपनी/ विदेशी संस्थागत निवेशकों से यह पुष्टि प्राप्त करे कि लाभांश/देय ब्याज की राशि/ अनुमोदित शेयरों से आय/डिबेंचरों/ सरकारी प्रतिभूतिधारकों को अनुमोदित आय पर ,जहां कहीं आवश्यक है, आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की गई है।

v) शेयरों/ डिबेंचरों/ दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खज़ाना बिलों आदि की खरीद और आवेदक विदेशी संस्थागत निवेशकों के स्थानीय सनदी लेखाकार/ कर परामर्शदाता को फीस अदायगी, जहां ऐसे फीस उनके निवेश प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, को विशेष अनिवासी रुपया खाते के

नामे डाला जाए।

6. **विदेशी संस्थागत निवेशको के पास निजी नियोजन**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऊपर निर्धारित सीमाओं अर्थात् अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप-लेखा-10 प्रतिशत और विदेशी संस्थागत निवेशक और उपलेखा दोनों मिलाकर भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 24 प्रतिशत के अधीन प्रस्ताव/ निजी नियोजन के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदने की अनुमति है। भारतीय कंपनियों को ऐसे शेयर जारी करने की अनुमति है बशर्ते :

(i) सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में, जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस पर निवासियों को शेयर जारी किया गया है और

(ii) निजी नियोजन द्वारा जारी किए जाने के मामले में, मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस पर सेबी के मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा पूर्ववर्ती नियंत्रक, पूंजी निर्गम द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों, जो भी लागू हो, के अनुसार तय हुआ है। पीसीडी /एफसीडी /राइट रिनन्सिएशन / वारंट / यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक म्युच्युअल फंड स्कीम की खरीद भी की जा सकती है।

7. **विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों की रिपोर्टिंग**

(i) विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय कंपनी में किसी विशेष निर्गम में ,विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा पोर्टफोलियो संभाग निवेश के अंतर्गत निवेश कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी संस्थागत निवेशक, जो विशेष रुपया खाते में नामे द्वारा शेयर खरीदते हैं वे इनके ब्योरे अलग से एलईसी (एफआइआइ) विवरणियों में सूचित करें।

(ii) भारतीय कंपनी, जिसने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत निर्गम जारी किया है(जिसके लिए कंपनी के खाते में सीधे ही भुगतान प्राप्त किया गया है)और संविभाग निवेश योजना (जिसके लिए भुगतान भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए विदेशी संस्थागत निवेशक खाते से प्राप्त किया गया है) की सूचना फॉर्म एफसी-जीपीआर की मद - 5 के अंतर्गत अलग दें ताकि सांख्यिकीय/निगरानी के प्रयोजन के लिए ब्योरों का उचित रूप से मिलान किया जा सके।

(iii) समग्र सीमा/ क्षेत्रीय सीमा, सांविधिक उच्चतम सीमा की निगरानी के लिए अभिरक्षक (कस्टोडियन) बैंक को फ्लॉपी/सॉफ्ट कॉपी में निर्धारित फार्मेट में सभी लेनदेनों (डेरिवेटिव ट्रेड को छोड़कर) के संबंध में एक दैनिक विवरण रिज़र्व बैंक 9 को सीधे प्रस्तुत करना है।

8. **अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश(एनआईआरएस)**

(i) अनिवासी भारतीयों को निवेश संविभाग योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति है। अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय दोनों आधार पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के डिबेंचरों के प्रत्येक सिरीज़ की प्रदत्त पूंजी/प्रदत्त मूल्य के 5 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का समग्र प्रदत्त मूल्य कंपनी की प्रदत्त पूंजी/कंपनी के डिबेंचर की सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। समग्र उच्चतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित भारतीय कंपनी की आम सभा इस आशय का विशेष संकल्प पारित करे।

(ii) अनिवासी भारतीय निवेशकों को खरीदे गए शेयरों की सुपुर्दगी लेना है और बेचे गए शेयरों की सुपुर्दगी देना है।मंदड़िया बिक्री की अनुमति नहीं है।

(iii) प्रत्यावर्तन आधार पर खरीदे गए शेयर और/अथवा डिबेंचरों का भुगतान सामान्य बैंकिंग

माध्यम के जरिए अथवा भारत में रखे गए एनआरई/एफसीएनआर खाते में रखी गई निधियों में से विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण द्वारा किया जाना है । यदि शेयर/डिबेंचर अप्रत्यावर्तन आधार पर खरीदे जाते हैं तो अनिवासी भारतीय उपर्युक्त के अलावा अपने एनआरओ खाते में रखी गई निधियों का ऊपयोग कर सकता है।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा का संपर्क कार्यालय, अपने द्वारा संविभाग निवेश योजना के तहत किए गए लेनदेनों की दैनिक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक [4]को प्रस्तुत करेगा, ऐसी रिपोर्ट ऑन लाइन या फ्लॉपी पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

(v) पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत अथवा स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवासी भारतीय द्वारा खरीदे गए शेयरों का निजी व्यवस्था अथवा उपहार के जरिये (अनिवासी भारतीय निवेशक को कंपनी अधिनियम की धारा 6 में यथापरिभाषित अपने संबंधियों को अथवा देश के किसी कानून के तहत पंजीकृत धर्मार्थ न्यास को छोड़कर) भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बगैर भारत में रहनेवाले या भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति को बिक्री के द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता है।

(vi) अनिवासी भारतीय समय-समय पर सेबी द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा व्यापार व्युत्पन्न संविदाओं में समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन गैर-परिवर्तनीय आधार पर भारत में रुपया निधि में से निवेश कर सकते हैं।

9. **रिज़र्व बैंक द्वारा निवेशो की स्थिति पर निगरानी**

भारतीय रिज़र्व बैंक , अभिक्षकों/ पदनामित प्राधिकृत व्यारी बैंकों द्वारा सूचित किये गये सूचीबध्द भारतीय कंपनियों के विदेशी संस्थागत निवेशकों /अनिवासी भारतीय निवेशकों के निवेशो की स्थिति पर फॉर्म एलईसी(एफआईआई) तथा एलईसी(एनआईआर) में दिए गए दैनिक आंकड़ों के आधार पर निगरानी रखता है ।

10 **सतर्कता सूची**

योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों /अनिवासी भारतीयों की कुल धारिता जब सतर्कता बिंदु पर पहुंचती है जो लागू सीमा (1,000 रुपये और इससे ऊपर की प्रदत्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए सतर्कता बिंदु सीमा लागू सीमा से 0.5 प्रतिशत कम है) से 2% कम है तो, भारतीय रिज़र्व बैंक यह कहते हुए प्राधिकृत व्यारी बैंकों की सभी के नामित शाखाओं को एक सूचना जारी करेगा कि एक विशेष भारतीय कंपनी के शेयरों की खरीद के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की जरूरत होगी। सतर्कता सूची में शामिल शेयरों की खरीद हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मामला -दर- मामला आधार पर दिया जाएगा । यह पहले आए पहले पाए आधार पर किया जाता है ।

11. **रोक सूची**

विदेशी संस्थागत निवेशकों /अनिवासी भारतीयों द्वारा शेयरधारिता के समग्र सीमा/ क्षेत्रीय सीमा/ सांविधिक सीमा पर पहुंचने पर रिज़र्व बैंक कंपनी को रोक सूची में डाल देगा है । कंपनी के एकबार रोक सूची में डाल दिए जाने पर कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा अनिवासी भारतीय ,संविभाग निवेश योजना के तहत कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता है।

12. **समुद्रपारीय कंपनी निकायों द्वारा निवेश**

29 नवंबर 2001 से भारत में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी कंपनी निकायों (ओसीबी) को निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यदि ओसीबी ने पीआइएस के अंतर्गत पहले से निवेश किया है तो वह उन शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचरों को

---

[4] मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई 400001 को संबोधित।

शेयर बाजार में बेचे जाने तक रख सकता है। भारत में निवेशक वर्ग के रूप में समुद्रपारीय निगमित निकायों की मान्यता 16 सितंबर 2003 से निरस्त कर दी गई है।

खंड III :विदेशी जोखिम पूंजी निवेश

विदेशी जोखिम पूंजी निधियों से निवेश

(i) फेमा विनियमों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेश (एफवीसीआइ) भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आइवीसीयू) या उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) या ऐसी उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) द्वारा शुरू की गई किसी योजना में निवेश कर सकता है बशर्ते वीसीएफ सेबी के पास पंजीकृत हो।

भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आइवीसीयू) को भारत में निगमित एक ऐसे कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट नकारात्मक सूची के तहत किसी कार्यकलाप में नहीं लगी हुई है। उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) को निगमित कंपनी सहित एक ट्रस्ट अथवा एक कंपनी के रूप में स्थापित एक निधि के रूप में परिभाषित किया जाता है,जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधि) विनियमावली,1996 के तहत पंजीकृत है,जिसके पास उपर्युक्त विनियमावली में विनिर्दिष्ट तरीके से उगाही गई पूंजी का एक समर्पित समूह है और जो उपर्युक्त विनियमावली के के अनुसार जोखिम पूंजी उपक्रम में निवेश करता है ।

(ii) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा वीसीएफ द्वारा स्थापित योजनाओं की यूनिटों/ निधियों में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधि के ईक्विटी/ ईक्विटी संबद्ध लिखतों/ ऋणों/ ऋण लिखतों, डिबेंचरों की खरीद कर सकते हैं।

अनुमोदन देते समय रिज़र्व बैंक एफवीसीआइ को प्राधिकृत व्यापारी के नामित शाखा में विदेशी मुद्रा खाता या रुपया खाता खोलने की अनुमति दे ता है।

(iii) शेयर, डिबेंचर, यूनिट की खरीद/बिक्री की कीमत क्रेता और विक्रेता/जारीकर्ता के बीच परस्पर स्वीकृति के आधार पर हो।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी कुल आवक प्रेषण की सीमा तक विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक को अग्रिम कवर का प्रस्ताव दे सकता है। यदि एफवीसीआइ ने कुछ निवेशों का परिसमापन कर कोई प्रेषण किया है तो निवेश के मूल लागत की कटौती पात्र कवर से की जानी है।

खंड IV :अन्य विदेशी निवेश

1. **अनिवासियों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद**

(क) **अप्रत्यावर्तनीय आधार पर :**

अनिवासी भारतीयों द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम या निजी खरीद की कोई सीमा नहीं है । ऐसी खरीद के लिए दी जाने वाली राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक निधियों से या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के पास रखे एनआरई/ एफसीएनआर/एनआरओ खाते में धारित निधियों में से चुकाई जाएगी ।

(ख अनिवासी भारतीय, बिना किसी सीमा के अप्रत्यावर्तनीय आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां,

) खजाना बिल, घरेलू म्युचुअल फंड की यूनिटें, मुद्रा बाजार , म्युचुअल फंड की यूनिटें की भी खरीद कर सकते हैं।भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि अनिवासी भारतीय को पीपीएफ सहित अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं है। गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेश के मामले में बिक्री आय एनआरओ खाते में जमा किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत निवेशित राशि और उस पर पूंजी अधिमूल्यन की राशि को विदेश में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं है।

(ग) तथापि, यदि अंतरिती के पास मौजूदा उद्यम हो अथवा 12 जनवरी 2005 की स्थिति के अनुसार उसी क्षेत्र में जिसमे कि भारतीय कंपनी जिसके शेयरों का अंतरण किया जा रहा है , कार्यरत हो , निवेश/ तकनीकी सहयोग/ ट्रेडमार्क एग्रीमेंट के जरिये भारत में कोई व्यवस्था हो तो उसे शेयर लेने के लिए एसआईए/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति अपेक्षित है । तथापि,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत जोखिम पूंजी निधि द्वारा , बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (अर्थात् एडीबी, आएफसी, सीडीसी, डीईजी) आदि द्वारा अथवा जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यमों में किसी भी एक पार्टी का निवेश 3% से कम हो अथवा जहाँ मौजूदा संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थान निष्क्रि य हो अथवा शेयरों का अंतरण करने वाली कंपनी सूचना प्रौद्योगकी क्षेत्र अथवा खदान के क्षेत्र में कार्यरत हो यदि मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण /उस व्यक्ति का ट्रेडमार्क एग्रीमेंट जिसको कि शेयर अंतरित किये जाने हैं वे भी सूचना प्रौद्योगकी क्षेत्र अथवा खदान के क्षेत्र में उसी एरिया अथवा खनिज के लिए कार्यरत हों , यह प्रतिबंध लागू नहीं हैं।

(ii) **प्रत्यावर्तनीय आधार पर :**

अनिवासी भारतीय बगैर सीमा के प्रत्यावर्तनीय आधार पर सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (वाहक प्रतिभूतियों से इतर) अथवा खजाना बिल अथवा घरेलू म्युचुअल फंड के यूनिट ,भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी बांड और भारत सरकार द्वारा विनिवेशित किए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के शेयर खरीद सकता सकता है बशर्ते खरीद बोली मंगानेवाली सूचना में अनुबद्ध शर्तों के अनुरूप हो।

2. **विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद**

विदेशी संस्थागत निवेशक, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिलें भारतीय कंपनियों द्वारा जारी अप्रत्यावर्तनीय डिबेंचर और देशी म्युच्युअल फंडों की यूनिटें, ऐसे यूनिटों के जारीकर्ता से सीधे या भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्स्चेंज में पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से खरीद सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ऋण लिखतों की खरीद सेबी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित सीमाओं के अधीन हैं।

3.. **बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबीएस)द्वारा निवेश**

बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसे भारत सरकार ने भारत में रुपया बांड़ जारी करने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी है,वह सरकारी दिनांकित प्रतिभूति खरीद सकता है।

4. **भारत में बैंकों द्वारा जारी टीयर I और टीयर II लिखतों में विदेशी निवेश**

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंकों द्वारा जारी बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र) और ऋण पूंजी लिखतों (उच्च टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिदान की अनुमति दी गई है।

क) बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I) में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I) में सभी अनीवासी भारतीयों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के

24 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल अनिवासी भारतीय द्वारा प्रत्येक निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग) ऋण पूंजी लिखतों में (टीयर II) में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश कंपनी ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशक के निवेश के लिए सेबी द्वारा अनुबद्ध सीमा के अंदर होना चाहिए।

घ) अन्य ऋण लिखतों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की वर्तमान नीति के अनुसार ऋण पूंजी लिखतों (टीयर II) में अनिवासी भारतीय का निवेश होना चाहिए।

(ii) जारीकर्ता बैंको से जारी करने के समय यह अपेक्षित है कि वे ऊपर अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करें। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे समय-समय पर जारी बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें।

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशक/ अनिवासी भारतीय, बैंकों द्वारा टीयर I पूंजी के लिए अर्हता प्राप्त करनेवाले बेमीयादी ऋण लिखतों के रूप मे उगाही गई राशि के निर्गमवार ब्योरे निर्गम के 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक[5] को निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें।

(iv) भारतीय रुपए में उगाहे गए अपर टीयर II लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश , कारपोरेट ऋण लिखतों में निवेश के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर होंगे। फिर भी ,इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक पृथक सीमा के अधीन होगी।

(v) स्टॉकएक्सचेंज में इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा सेकेंडरी मार्केट बिक्रियों/ खरीदों के ब्योरे क्रमशः कस्टोडियन और नामित बैंकों द्वारा एलईसी विवरणी के सॉफ्ट कॉपी के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना है।

भाग II
भारत में स्थित अचल संपत्ति का अभिग्रण और अंतरण

1. भारत में स्थित अचल संपत्ति का अभिग्रण और अंतरण

(1) भारत से बाहर रहनेवाला व्यक्ति,जो भारत का नागरिक (अनिवासी भारतीय)[13] है, भारत में कृषि भूमि/बागान/फॉर्म हाउस के सिवाय कोई भी अचल संपत्ति को खरीद द्वारा अभिगृहीत कर सकता है। वह कृषि अथवा बागान संपत्ति अथवा फार्म हाउस के सिवाय कोई अचल संपत्ति निम्नलिखित को अंतरित कर सकता है:

(i) भारत के बाहर रह रहे किसी निवासी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है, अथवा

(ii) जो भारतीय मूल का हो और भारत से बाहर रह रहा है, अथवा

(iii) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को

(2) वह विरासत द्वारा अभिगृहीत कृषि भूमि/ बागान संपत्ति/ फार्म हाउस को भारत में स्थायी रूप से निवास करनेवाले भारतीय नागरिक को ही अंतरित कर सकता है।

(3) संपत्ति के अधिग्रहण का भुगतान निम्नलिखित में से किया जा सकता है:

(i) भारत से बाहर किसी स्थान से सामान्य बैंकिंग माध्यम से आवक प्रेषण द्वारा प्राप्त निधि अथवा

[5] जनवरी 25, 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24

(ii) फेमा अधिनियम 1999 के प्रावधानों और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार रखे गए किसी अनिवासी खाते में रखी गई निधियों से

(4) ऐसे भुगतान यात्री चेक अथवा विदेशी करेंसी नोट अथवा ऊपर विशेष रूप से उल्लिखित से इतर प्रकार से नहीं किया जा सकता है।

(5) भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई व्यक्ति(पीआईओ)[14] कृषि भूमि/बागान संपत्ति/फार्म हाउस से इतर भारत में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है:-

[13] यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, को परिपत्र के इस भाग के लिए अनिवासी भारतीय समझा जाता है।

[1] 'भारतीय मूल के व्यक्ति' की परिभाषा उस व्यक्ति (पाकिस्तान अथवा बांगलादेश अथवा श्रीलंका अथवा अफगानिस्तान अथवा चीन अथवा ईरान अथवा नेपाल अथवा भूटान का नागरिक न हो) है

(i) जिसके पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट न रहा हो; अथवा

(ii) जो अथवा जिसके पिता अथवा दादा भारतीय संविधान अथवा सिटिज़नशिव एक्ट, 1955 (1955 का 57) के अधीन भारत के नागरिक रहा हो/रहे हों ;

(i) सामान्य बैंकिग चैनल के माध्यम से आवक प्रेषणों से प्राप्त निधियों में से अथवा अपने अपने एनआरई /एफसीएनआर(बी)/एनआरओ खाते में नामे द्वारा खरीद ।

(ii) ऐसे भुगतान यात्री-चेकों अथवा विदेशी मुद्रा नोटों अथवा विशेष रूप से ऊपर निदिष्ट तरीकों को छोड़कर नहीं किये जा सकते हैं।

(iii) भारत में निवासी किसी व्यक्ति अथवा किसी अनिवासी भारतीय अथवा किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को उपहार द्वारा

6. भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत के निवासी किसी व्यक्ति से अथवा भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, जिसने लागू विदेशी मुद्रा कानून अथवा संपत्ति अधिग्रहण के समय लागू फेमा विनियमों के प्रावधानों केअनुसार ऐसी संपत्ति अधिगृहीत की थी, से विरासत में भारत में कोई अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है ।

7. भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो , भारत में अपनी कृषि भूमि/ बागान संपत्ति/ फार्म हाऊस को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है।

8. एक भारतीय मूल का व्यक्ति, भारत में कृषि भूमि/ बागान संपत्ति/ फार्म हाऊस को

(i) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को बिक्री द्वारा।

(ii) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को अथवा अनिवासी भारतीय व्यक्ति को अथवा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है।

2. **विदेशी दूतावासों/ राजनयिकों/कांसुलेट जनरलों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद/ बिक्री**

विदेशी दूतावासों/कांसुलेट भारत में राजनयिकों/ को भारत में कृषि भूमि/ बागान संपत्ति/ फॉर्म उस के सिवाय भारत में कोई भी अचल संपत्ति खरीदने/बेचने की अनुमति दी गई बशर्ते (i) ऐसी खरीद/बिक्री के लिए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त ो और (ii) भारत में अचल संपत्ति के अभिग्रण के मूल्य का भुगतान विदेश से बैंकिंग माध्यम से प्राप्त निधि से भुगतान किया गया हो।

3. **अनुमत कार्यकलाप चलाने के लिए अचल संपत्ति का अभिग्रहण**

यथावश्यक अपेक्षित अनुमोदन से स्थापित विदेशी कंपनी , भारत में शाखा, कार्यालय अथवा कारोबार के किसी स्थल (संपर्क कार्यालय के अलावा) के लिए, भारत में अचल संपत्ति , जो उस कार्यकलाप को चलाने के लिए आवश्यक हो अथवा प्रासंगिक हो , अधिगृहण के लिए पात्र है; बशर्ते कि इस संबंध में,

प्रचलित सभी कानूनों/ नियमावली/ विनियमावलियों अथवा आदेशों का विधिवत् अनुपालन किया गया हो। कंपनी /संबंधित व्यक्ति को फॉर्म आइपीआइ (अनुबंध-12) में रिज़र्व बैंक में ऐसे अधिग्रहण से 90 दिन के भीतर घोषणा प्रस्तुत करना है। अनिवासी उक्त अचल संपत्ति को बंधक द्वारा किसी प्राधिकृत व्यापारी को बतौर ज़मानत अंतरित करने के लिए पात्र है।

4. **बिक्री आय का प्रत्यावर्तन**

अनिवासी /भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा भारत में कृषि भूमि/फॉर्म हाउस/बागान संपत्ति से इतर अचल संपत्ति की बिक्री करने पर प्राधिकृत व्यापारी बिक्री आय को भारत से बार प्रत्यावर्तित करने की अनुमति देगा बशर्ते

(क) विक्रेता द्वारा संपत्ति, अधिग्रहण के समय लागू विदेशी मुद्रा कानून अथवा फेमा विनियमावली के अनुसार अधिगृहीत की गई हो;

(ख) प्रत्यावर्तित की जानेवाली राशि (क) अचल संपत्ति के अभिग्रहण के लिए भुगतान की गयी राशि, सामान्य बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता में धारित निधियों में से अथवा (ख) विदेशी मुद्रा भुगतान की तारीख को भुगतान की गयी राशि के समतुल्य राशि से, जहाँ पर कि ऐसा भुगतान अनिवासी बाह्य खाते में धारित राशि में से की गयी हो, से अधिक नहीं होगी।

(ग) आवासीय संपत्ति के मामले में, बिक्री आय का प्रत्यावर्तन ऐसे दो संपत्तियों से अधिक नहीं होगी ।

(ii) रुपया निधि से अभिगृहीत अचल संपत्ति की बिक्री के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा अपने अनिवासी रुपया (एनआरओ) खाते में धारित जमाराशि में से एक मिलियन अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष के प्रत्यावर्तन की सुविधा की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते कि रकम प्रेषित करनेवाले व्यक्ति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्मेट में प्रेषक द्वारा वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **कुछ देशों के नागरिकों द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रण अथवा अंतरण के लिए पूर्व अनुमति**

(i) पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानस्तान, चीन, ईरान, नेपाल और भूटान का कोई भी नागरिक भारत में अचल संपत्ति न तो अभिगृीत करेगा और नहीं अंतरित करेगा सिवाय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अधिकतम 5 वर्ष तक के पट्टे पर।

(ii) **भारत के बाहर निवासी गैर भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों** को तब तक भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं है जब तक कि ऐसी संपत्ति विरासत के रूप में, ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवासी था, से अधिगृहीत नहीं की जाती है। गैर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जिन्होंने रिज़र्व बैंक के विनिर्दिष्ट अनुमोदन से भारत में कोई अचल संपत्ति अभिगृहीत की हो वह रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उसे अंतरित नहीं कर सकते हैं।

भाग III

भारत में शाखा/ संपर्क/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना

1. **भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन**

भारत से बाहर निगमित कंपनियां जो भारत में संपर्क/ शाखा कार्यालय खोलने की इच्छुक हैं, को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फार्म एफएनसी-1 (अनुबंध-13)में भारतीय रिज़र्व बैंक14 को आवेदन करना है।

- पंजीकरण के देश में भारतीय दूतावास/ नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित निगमन/ पंजीकरण अथवा ज्ञापन अथवा संस्था के अंतरनियम के प्रमाणपत्र का अंग्रेजी पाठ

- आवेदक कंपनी का नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र

2. **संपर्क कार्यालय**

भारत से बाहर निगमित कंपनियां रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना कर सकते हैं। एक संपर्क कार्यालय (प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में भी जाना जाता है) केवल संपर्क कार्यकलाप कर सकते हैं अर्थात् विदेश स्थित प्रधान कार्यालय और भारत में पार्टियों के बीच पत्राचार के माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह भारत में कोई कारोबारी कार्यकलाप नहीं कर सकती है तथा भारत में कोई आय अर्जित नहीं कर सकती है। ऐसे कार्यालयों के खर्चे भारत से बाहर स्थित प्रधान कार्यालय से प्राप्त विदेशी मुद्रा के आवक प्रेषण के माध्यम से संपूर्ण रूप से पूरे किए जाते हैं। अतः ऐसे कार्यालयों की भूमिका भावी बाज़ार अवसरों के बारे में सूचना संग्रह करने तक सीमित है तथा कंपनी को सूचना प्रदान करना है और संभावी भारतीय ग्राहकों को अपने उत्पादों की जानकारी देनी है। ऐसे कार्यालयों की स्थापना के लिए अनुमत शुरूमें तीन वर्षों की अवधि के लिए दी जाती है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में कार्यालय स्थित है समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। संपर्क कार्यालय भारत में निम्नलिखित कार्यकलाप कर सकता है।

(i) मूल कंपनी/ समूह कंपनी का भारत में प्रतिनिधित्व करना

(ii) भारत से/ भारत को निर्यात के संबंध में बढ़ावा देना

(iii) मूल/ समूह कंपनियों और भारत स्थित कंपनियों के बीच तकनीकी/ वित्तीय सहयोग को बढ़ाना देना

(iv) मूल कंपनी और भारतीय कंपनियों के बीच संप्रेषण के माध्यम के रूप में भूमिका निभाना

संपर्क/प्रतिनिधि कार्यालयों को सनदी लेखाकार से प्राप्त एक वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है कि संपर्क कार्यालय ने केवल वे ही कार्यकलाप किए हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमोदित किया है।

3. **विदेशी बीमा कंपनियों के संपर्क कार्यालय**

विदेशी बीमा कंपनियों, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर भारत में संपर्क कार्यालय खोल सकते हैं।

4. **शाखा कार्यालय**

भारत से बाहर निगमित और विनिर्माण अथवा व्यापारी कार्यकलाप में लगी कंपनियों को रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से भारत में शाखा कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे शाखा कार्यालयों को मूल/ समूह कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने और भारत में निम्नलिखित कार्यकलाप करने की अनुमति दी जाती है:

i माल का निर्यात/ आयात

ii व्यावसायिक अथवा परामर्श सेवाएं प्रदान करना

iii. शोध कार्य करने जिसमें मूल कंपनियां लगी हुई हैं।

iv. भारतीय कंपनियों और मूल अथवा समुद्रपारीय समूह कंपनी के बीच तकनीकी अथवा वित्तीय सहयोग को बढ़ाना

v. भारत में मूल कंपनी का प्रतिनिधित्व करना और भारत में क्रेता/ विक्रेता के एजेंट के रूप में कार्य करना

vi) सूचना प्रौद्योगिकी और भारत में सॉफ्टवेअर के विकास की सेवाएं प्रदान करना

vii) मूल/ समूह कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों को तकनीकी सहायता प्रदान करना

2) किसी भी प्रकार के खुदरा व्यापार कार्यकलापों के लिए भारत स्थित शाखा कार्यालय को अनुमति नहीं दी जाएगी।

3) शाखा कार्यालय को भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण, प्रसंस्करण कार्यकलाप चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

4) इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इरान अथवा चीन से आयी कंपनियों को यहाँ तक कि शाखा कार्यालय के लिए भारत में अचल संपत्ति अधिग्रहण की अनुमति नहीं है। इन कंपनियों को लीज़ आधार पर अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसी संपत्ति लीज़ पर लेने की अनुमति है। नेपाल की कंपनियों को भारत में केवल संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति है।

5) शाखा कार्यालयों द्वारा अर्जित लाभ को लागू करों के भुगतान के बाद भारत से बाहर मुक्त रूप से प्रेषण करने की अनुमति है।

6) शाखा कार्यालय को सनदी लेखाकार से प्राप्त वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत करना है।

5. विशेष आर्थिक अंचल में शाखा कार्यालय

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनिर्माण और सेवा कार्यकलाप करने के लिए विशेष आर्थिक अंचल में शाखा/ यूनिट की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों को सामान्य अनुमति प्रदान की है। सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(क) ऐसे यूनिट उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहां 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

(ख) ऐसे यूनिट कंपनी अधिनियम के भाग XI (पैरा 592 से 602) का अनुपालन करती है।

(ग) ऐसे यूनिट एकल आधार पर कार्यरत है।

(ii) कारोबार के समापन और समापन प्राप्यों के प्रेषण की स्थिति में , शाखा कार्यालय,भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन पत्र की प्रति को छोड़कर पैराग्रौफ- 11 ("कार्यालय के समापन") में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करेंगे।

6. बैंकों की शाखाएं

विदेशी बैंकों को फेमा के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । ऐसे बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है ।

7. परियोजना कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में परियोजना कार्यालय की स्थापना के लिए विदेशी कंपनी को सामान्य अनुमति प्रदान की है, बशर्ते कि उन्होंने भारत में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भारतीय कंपनी से संविदा प्राप्त की हो और

(i) परियोजना का निधीयन प्रत्यक्ष रूप से विदेश के आवक प्रषणों द्वारा किया जाता है; अथवा

(ii) द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी द्वारा परियोजना का निधीयन किया जाता है; अथवा

(iii) परियोजना का उपयुक्त प्राधिकरण ने मंजूरी दी है; अथवा

(iv) संविदा प्रदान करनेवाली भारत स्थित कंपनी अथवा प्रतिष्ठान को परियोजना के लिए भारत में किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा किसी बैंक द्वारा मीयादी ऋण प्रदान किया गया है।

फिर भी उपर्युक्त मानदण्ड पूरे नहीं किए जाते हैं तो विदेशी कंपनी को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा।

8. **विदेशी मुद्रा खाता खोलना**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निम्नलिखित के अधीन भारत में परियोजना कार्यालय के लिए ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं।

(i) परियोजना कार्यालय संबंधित परियोजना प्रदान करनेवाले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन लेकर रिज़र्व बैंक के सामान्य विशिष्ट अनुमति के साथ भारत में स्थापित किया गया है,

(ii) संविदा जिसके तहत परियोजना की स्वीकृति दी गई है विशेष रूप से विदेशी मुद्रा में भुगतान का प्रावधान करता है,

(iii) प्रत्येक परियोजना के पास दो विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है,

(iv) खाते में अनुमत नामे परियोजना संबंधी व्यय के भुगतान होंगे तथा जमा परियोजना को स्वीकृति देनेवाले प्राधिकरण से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियां होंगी और विदेश स्थित मूल कंपनी/ समूह कंपनी से प्राप्त प्रेषण अथवा द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी से प्राप्त प्रेषण होंगे।

(v) यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की संबंधित शाखा की होगी कि विदेशी मुद्रा खाते में केवल अनुमोदित नामे और जमा की अनुमति दी जाती है,। इसके अलावा खातों की **100 %** जांच-पड़ताल संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की जायेगी ।

(vi) विदेशी मुद्रा खाता परियोजना के पूरे होने पर बंद किया जाए।

9. **भारत स्थित परियोजना कार्यालयों द्वारा सविराम प्रेषण**

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक परियोजना के लंबित समापन/ पूर्णतःवाले परियोजना कार्यालयों को सविराम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। बशर्ते वे लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट है तथा निम्नलिखित के अधीन है :

(क) परियोजना कार्यालय इस आशय का लेखापरीक्षक/ सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि आयकर आदि सहित भारत में देयताओं के भुगतान के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(ख) परियाजना कार्यालय से इस आशय का वचनपत्र कि प्रेषण से किसी भी प्रकार से भारत स्थित परियोजना की पूर्णतः पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कि भारत में देयताओं को पूरा करने के लिए निधियों की किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त आवक प्रेषण द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) निधियों के अंतर परियोजना अंतरण को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी जिसके अंतर्गत परियोजना कार्यालय स्थित है।

10. **सामान्य शर्तें**

(i) विदेश में स्थापित साझेदारी, स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों को भारतीय रिज़र्व बैंक में शाखा/ संपर्क कार्यालय की स्थापना की अनुमति नहीं है।

(ii) शाखा/ संपर्क/ परियोजना कार्यालयों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज रहित चालू खाता खोलने की अनुमति है। ऐसे कार्यालयों को खाता खोलने के लिए अपने प्राधिकृत व्यापारी से संपर्क करना है।

(iii) संपर्क/ शाखा कार्यालय से सहयोगी संस्थाओं अथवा अन्य संपर्क/ शाखा कार्यालयों को परिसंपत्तियों के अंतरण की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के विशिष्ट अनुमोदन से होगी।

11. **कार्यालयों का समापन**

(i) संपर्क कार्यालयों के समापन के समय कंपनियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना है :

(क) भारत में कार्यालय की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रति

(ख) लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र -

1. उस तरीके का उल्लेख जिससे प्रेषण योग्य राशि का हिसाब लगाया गया है तथा आवेदक के परिसंपत्ति और देयताओं का विवरण और यह बताते हुए कि कि तरह परिसंपत्तियों का निपटान किया गया है।
2. यह पुष्टि करते हुए कि शाखा/कार्यालय के कर्मचारियों के अनुदानों की बकाया राशि और अन्य लाभों सहित भारत में सभी देयताओं को पूरी तरह पूरा किया गया है अथवा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
3. यह पुष्टि करते हुए कि भारत से बाहर स्रोतों से अर्जित कोई भी आय भारत से अप्रत्यावर्तित नहीं है।

(ग) प्रेषण के लिए आयकर प्राधिकरण से प्राप्त आपत्ति नहीं अथवा कर बेबाकी प्रमाण पत्र; और

(घ) आवेदक से पुष्टीकरण कि भारत स्थित किसी कोर्ट में कोई भी कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं है और प्रेषण में किसी भी तरह की कानूनी बाधा नहीं है।

(ङ) क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदनप्रापत करने के बाद प्राधिकृत व्यापारी अधिशेष प्रेषणों की अनुमति दे सकता है।

(च) शाखा कार्यालय के समापन के समय कंपनियों को ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के सेट के साथ अनुमोदन के लिए केन्द्रीय कार्यालय से संपर्क करना है।

भाग IV
साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश

1. **साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश**

अनिवासी भारतीय[6] अथवा भारत से बाहर निवास करनेवाला भारतीय मूल का व्यक्ति[7] अंशदान क माध्यम से किसी फर्म के पूंजी अथवा भारत में स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में अप्रत्यावर्तन आधार पर निवेश कर सकता है बशर्ते

---

17 अनिवासी भारतीय ऐसे भारतीय नागरिक अथवा भारत मूल का व्यक्ति है जो भारत के बाहर रहता है।

18 भारतीय मूल का व्यक्ति बांगलादेश अथवा श्रीलंका से इतर किसी अन्य देश का नागरिक है, अगर

क) उसके पास कभी भारतीय पारपत्र रहा हो ; अथवा

ख) वह अथवा उसके माता अथवा पिता अथवा उनके माता या पिता भारत के गणतंत्र अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन भारतीय नागरिक थे; अथवा

ग) उस व्यक्ति भारतीय नागरिक अथवा उप-खंड (क) अथवा (ख) में संदर्भित व्यक्ति का पति/ की पत्नी है।

i. राशि का निवेश आवक प्रेषण अथवा प्राधिकृत व्यापारी बैंक में अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी(बैंक) / अनिवासी सामान्य खाते में से किया जाता है।

ii. फर्म अथवा स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान जो किसी कृषि/ बागान अथवा भूमि भवन कारोबार लाभ कमाने अथवा उससे आय कमाने की दृष्टि से भूमि अथवा अचल संपत्ति में कारोबार करना) अथवा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में लगी हुई नहीं है।

iii. निवेशित की गई राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी।

2. **प्रत्यावर्तन लाभ के साथ निवेश**

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति प्रत्यावर्तन लाभ के साथ एकल स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों/ साझेदारी फर्मों में निवेश हेतु रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

3. **अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूलय के व्यक्ति से इतर अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश**

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति भारत में किसी फर्म अथवा किसी स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति के किसी संघ को अंशदान द्वारा निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्रापत करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

4. **निषेध**

अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल केव्यक्ति को किसी कृषि/ बागान कार्यकलाप अथवा भूमि भवन कारोबार अर्थात् लाभ कमाना अथवा उससे आय कमानी है अथवा प्रिंट मीडिया में लगी हुई स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों अथवा फर्म में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

अनुबंध-1

(भाग-I, खंड-1 का पैराग्राफ 2 देखें)

विदेशी निवेश के लिए विशिष्ट-क्षेत्र नीति

विदेशी निवेश के लिए निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों में अन्य यथानिर्दिष्ट शर्तों के अधीन नीचे उल्लिखित सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों में जिनका उल्लेख नहीं है, उन्हें स्वतःअनुमोदित मार्ग से नीचे उल्लिखित लागू क्षेत्रीय सेक्टोरल नियमों/विनियमों शर्तों के अधीन 100% सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

क्रमांक	**क्षेत्र/कार्यकलाप**	**एफडीआई कैप/ इक्विटी**	**प्रवेश मार्ग**	**अन्य शर्तें**
1.	**कृषि**			
	पुष्प-कृषि, बागवानी,बीज विकास, पशुपालन , मत्स्यपालन, जलीय जंतु पालन , नियंत्रित परिस्थितियों में सब्जियों और मशरूम उगाना तथा कृषि और उससे सम्बद्ध सेवाएं **पाद टिप्पणी:** **उपर्युक्त को छोड़कर**	**100%**	स्वतःअनुमोदित मार्ग	--

	अन्य कृषि क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।			
2	बागानी समेत चाय क्षेत्र पाद टिप्पणी: उपर्युक्त को छोड़कर बागानी के अन्य क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।	100%	एफआईपीबी	भारतीय साझेदार/ जनता के पक्ष में 5 वर्ष के भीतर इक्विटी का 26 % विनिवेश और भविष्य में जमीन के उपयोग हेतु संबंधित राज्य की अनुमति के अधीन
	उद्योग -			
	खनन			
3.	खनन इसके अतर्गत हीरे जवाहरात और बेशकीमती पत्थर, सोना , चांदी और खनिजों की खोज और खनन आता है ।	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	खान और खनिज(विकास और विनियमन)अधिनियम 1957 (www.mines.nic.in) के अधीन जहाँ तक खनन क्षेत्र का संबंध है वहाँ 100 प्रतिशत कंपनियां स्थापित करने के लिए नोट 18 (1998) तथा प्रेस नोट 1(2005)लागू नहीं होगें बशर्ते कि आवेदक से इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके पास उसी क्षेत्र और/ अथवा विशिष्ट खनिज के लिए वर्तमान समय में संयुक्त उद्यम नहीं है।
4.	कोयला और लिग्नाइट पॉवर प्रोजेक्ट और आयरन तथा स्टील , सीमेंट उत्पादन द्वारा सीमित खपत के लिए और कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत,अन्य अनुमत कामकाज के लिए	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1973 (www.Coal.nic.in) के अधीन
5.	खनन और खनिज खनिज और अयस्क लगे टिटैनियम को और उसे उत्कृष्ट बनाने तथा पूर्ण करने के लिए जोड़ने संबंधी कार्यकलाप	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	क्षेत्रीय विनियम और खनन तथा खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम,1957 तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन

	पाद टिप्पणी: भारत सरकार , परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18 जनवरी 2006 को जारी अधिसूचना सं. एस.ओ.61(ई) में सूचीबद्ध पदार्थों के खनन के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है ।			(i)तकनीकी अंतरण के साथ उत्कृष्टता संबंधी सुविधाएं भारत के भीतर लगायी गयी हैं । (ii) खनिजों की सफायी के दौरान निकलने वाले कूड़े-करकट का निपटान परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित विनियम जैसे कि परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली 2004, परमाणु ऊर्जा(रेडियो धर्मिता कूड़े का सुरक्षित निपटान) नियमावली 1987के अनुरूप किया जायेगा ।

	विनिर्माण			
6.	एल्कोहल और डिस्टीलेशन तथा मद्य-निर्माण	100%	स्वत:अनुमोदित	उपयुक्त प्राधिकरण से लाइसेस प्राप्त करके
7.	सिगार्स और सिगरेट-विनिर्माण	100%	एफआईपीबी	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
8.	कॉफी और रबड़ प्रसंस्करण तथा भंडारण	100%	स्वत:अनुमोदित	--
9.	प्रतिरक्षा उत्पादन	26%	एफआईपीबी	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और आर्म्स एंड एम्युनिशंस उत्पादन के लिए दिशा-निर्देशों के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
10.	खतरनाक रसायन जैसे कि हाइड्रोसाइनिक एसिड और इसके व्युत्पन्न , फास्जीन और उसके व्युत्पन्न , आइसोसाइनेट और हाइड्रोकार्बन के डाई-आइसोसाइनेट	100%	स्वत:अनुमोदित	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और अन्य क्षेत्रीय विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
11.	औद्योगिक विष्फोटक -	100%	स्वत:अनुम	उद्योग(विकास और विनियमन)

	विनिर्माण		ोदित	अधिनियम , 1951 और विष्फोटक अधिनियम , 1898 के अधीन निर्मित विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
12	दवाइयां और औषधियां (फार्मास्युटिकल्स) जिनमें डीएनए टेक्नोलॉजी के पुर्नसंयोजन में प्रयुक्त होती हैं।	100%	स्वत:अनुम ोदित	-------
13.	पॉवर			
	इसमें विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) , प्रसारण, वितरण और विद्युत व्यापार शामिल हैं ।	100%	स्वत:अनुमोदित ।	विद्युत अधिनियम , 2003 (WWW.POWERMIN.IN) के प्रावधानों के अधीन
	सेवाएं			
	नागरिक विमानन क्षेत्र			
14.	हवाई अड्डे			
(क)	ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट	100%	स्वत:अनुम ोदित मार्ग	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (WWW.CIVILAVIATION.NIC.IN) द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के अधीन
(ख)	वर्तमान प्रोजेक्ट	100%	74% से अधिक के लिए एफआईपी बी	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (WWW.CIVILAVIATION.NIC.IN) द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के अधीन
15.	वायु परिवहन सेवाओं में स्व-देशी , अनुसूचित यात्री एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित स्व-देशी यात्री एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस, कारगो एयरलाइंस, हेलिकॉप्टर तथा सीप्लेन सर्विसेज			
(क)	अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / स्वदेशी अनुसूचित यात्री एयरलाइंस	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए -49% अनिवासी भारतीयों के लिए 100%	स्वत: अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस और क्षेत्रीय विनियमों के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता की अनुमति नहीं है।
(ख)	गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / गैर-अनुसूचित एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइस और कारगो एयरलाइंस,	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए -74% अनिवासी भारतीयों के लिए 100%	स्वत: अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस की गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं और चार्टर्ड एयरलाइंस द्वारा किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता की अनुमति नहीं है।कारगो एयरलाइंस संचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस को इक्विटी

				कंपनियों में सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रीय विनियम भी लागू हैं ।
(ग)	डीजीसीए की का अनुमोदन अपेक्षित हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन सर्विसेज	100%	स्वतः अनुमोदित	हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन सर्विसेज संचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस को कंपनियों में सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रीय विनियम भी लागू हैं ।
16.	नागरिक विमानन क्षेत्र की अन्य सेवाएं			
(क)	ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज	प्रत्यक्ष निवेश के लिए -74% अनिवासी भारतीयों के लिए 100%	स्वतः अनुमोदित	क्षेत्रीय विनियमों और सुरक्षा निकासी के अधीन हैं ।
(ख)	रखरखाव और मरम्मत संगठन ; संस्थागत उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं	100%	स्वतः अनुमोदित	--
17.	परिसंपत्ति पुर्नसंरचना कंपनियां	49%(केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशको के लिए)	एफआईपीबी	जहाँ किसी व्यक्ति के निवेश इक्विटी के 10% से बढ़ जाता है तो वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 प्रवर्तन की धारा 3(3) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये ।
18.	बैंकिंग- निजी क्षेत्र	74% (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों के निवेश 49% से अधिक नहीं ।	स्वतः अनुमोदित	भारतीय रिजर्व बैंक (www.rbi.org.in) विदेशी बैंकों की शाखाएं/ उनकी सहायक संस्थाएं खोलने के जारी दिशा-निर्देशों के अधीन
19.	प्रसारण			
(क)	एफएम रेडियो	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश - 20% तक निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन
(ख)	केबल नेटवर्क	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा

		संस्थागत - 49%		अधिसूचित केबल टेलिविजन नेटवर्क नियमावली (1994) के अधीन
(ग)	**डाइरेक्ट -टु -होम**	49% - (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों के निवेश का हिस्सा 20% से अधिक नहीं ।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार
(घ)	**धातु सामग्री सुविधाएं जैसे कि अप-लिकिंग, हब आदि स्थापित करना ।**	49% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित अप-लिकिंग पॉलिसी के अनुसार
(ङ)	**समाचार और सामयिक विषयों ,टीवी. चैनेल्स की अप-लिकिंग**	26% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
(च)	**गैर समाचार और सामयिक विषयों ,टीवी. चैनेल्स की अप-लिकिंग**	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
20.	**पण्य विनिमय**	49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश-23%	एफआईपीबी	संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक केवल सेकेंडरी मार्केट में खरीद द्वारा ही निवेश कर सकते हैं ।
21	**विनिर्माण विकास परियोजनाएं-** इसमें आवास,व्यावसायिक परिसर,रिसार्ट, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं तथा शहर और क्षेत्रीय बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं । **पाद टिप्पणी : स्थावर संपदा के क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश की अनुमति नहीं है ।**	100%	स्वतः अनुमोदित	निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन (क)पूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के मामले में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर और भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के मामले में 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम पूंजीकरण । (ख) सर्विस्ड़ हाउसिंग प्लाट के विकास के मामले में - 10 हेक्टेयर ;

				और विनिर्माण - विकास परियोजना के मामले में - 50,000 वर्ग मीटर [टिप्पणी 1 : अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित शर्तें लागू नहीं हैं। टिप्पणी 2: विशेष आर्थिक क्षेत्र , होटेल और अस्पताल में निवेश के लिए प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित शर्तें लागू नहीं हैं।]
22	पैकेज, पार्सेल्स और अन्य वस्तुएं जो कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के दायरे में नहीं आती है के लिए कुरियर सेवाएं	100%	एफआईपीबी	वर्तमान कानून और पत्रों के वितरण संबंधी उन कार्य कलापों को छोड़कर जो कि विशेष रूप से राज्य सरकार के लिए सुरक्षित हैं ।(www.indiapost.gov.in)
	प्रतिभूति बाजार में वित्तीय मूलभूत जरूरतें			
23.	स्टॉक एक्स्चेंज, निुक्षेपागार और समाशोधन निगम	(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश) -49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश-23%	एफआईपीबी	विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदें सेकेंडरी कार्केट तक ही सीमित रहेंगी । संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत
24.	क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियां	(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश)-49% इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों का निवेश 24% से अधिक न हो ।	एफआईपीबी	क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेश क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनीज (विनियमावली) ऐक्ट 2005 के अधीन संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत।
25.	औद्योगिक पार्क बनाने तथा बने पार्क दोनों के लिए	100%	स्वतः अनुमोदित	विनिर्माण विकास परियोजनाओं पर प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित लागू शर्तें औद्योगिक पार्कों पर लागू नहीं होगी बशर्ते औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों

				। i यह कम से कम 10 यूनिट का और एक एकल यूनिट आबंटनीय क्षेत्रफल से 50%में फैला हो। ii औद्योगिक कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाने वाला क्षेत्र कुल आबंटित क्षेत्रफल का कम से कम 660%हो ।
26.	बीमा	26%	स्वतः अनुमोदित	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (www.irda.nic.in) (आइआरडीए) से लाइसेंस के अधीन ।
27.	बुनियादी /सेवा क्षेत्र (दूर संचार क्षेत्र को छोड़कर) में निवेश	100%	एफआईपीबी	जहाँ पर .विदेशी निवेश की सेक्टोरल लिमिट निर्धारित है , निर्धारित कैप के लिए केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार कि जा सकता है और विदेशी निवेश करने वाली किसी कंपनी में विदेशी निवेश इस कैप से अलग नही की जा सकती है बशर्ते कि ऐसी निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49% से अधिक न हो और निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का प्रबंध भारतीय स्वामियों के पास हो ।
28.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां			
i)	मर्चेंट बैंकिंग	100%	स्वतः अनुमोदित	**निधि आधारित एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड** (क) 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष निवेश के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट लाया जाए। यदि प्रत्यक्ष निवेश 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक हो, तो 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट लाया जाए । यदि प्रत्यक्ष निवेश 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक हो तो 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट लाया जाए और शेष 24 महीनों में । (ख) गैर-निधि आधारित एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड-0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर । (ग) विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के अपने इक्विटी के कम से कम 25% तक
ii)	अइटरराइटिंग			
iii)	संविभाग प्रबंध सेवा			
iv)	निवेश परामर्श सेवा			
v)	वित्तीय परामर्श			
vi)	स्टॉक-ब्रोकिंग			
vii)	परिसंपत्ति प्रबंध			
viii)	उद्यम पूंजी			
ix)	अभिरक्षण सेवा			
x)	फैक्टरिंग			

xi)	क्रेडिट निर्धारक एजेंसियां			विनिवेश के अलावा 100% तक परिचालनात्मक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी कंपनियां परिचालनात्मक कंपनियों की सख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाने के अधीन (अतिरिक्त पूंजी लाए बिना परिचालनात्मक कंपनियों की सख्या के प्रतिबंध को छोड़कर) घ) एनबीएफसी परिचालन के संयुक्त उद्यम जिनके 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश है उन्हें भी अन्य एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए कंपनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी बशर्ते कि कंपनियां भी न्यूनतम पूँजी अंतर्वाह की शर्तों का अनुपालन करें। ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों का अनुपालन के अधीन । च) जहाँ एनबीएफसी की विदेशी मुद्रा धारिता(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) ऊपर (क) पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जायेगी वहाँ पर न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड लागू होंगे । तम पूंजीकरण मानदंड के प्रयोजनार्थ पूँजी केवल शेयरों में रहेगी ।
xii)	वित्तीय लीज़िंग तथा किराया खरीद			
xiii)	आवासीय वित्त			
xiv)	फॉरेक्स ब्रोकिंग			
xv)	क्रेडिट कार्ड कारोबार			
xvi)	मुद्रा परिवर्तक कारोबार			
xvii)	माइक्रो क्रेडिट			
xviii)	ग्रामीण ऋण			
29.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र			
(क)	रिफायनिंग (निजी क्षेत्र)	49% तक सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के मामले में 100% तक निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में	एफआईपीबी सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के मामले में स्वत: अनुमोदित मार्ग -निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में	तेल बाजार सेक्टर में मौजूदा सेक्टोरल नीति और बिना विनिवेश अथवा सरकारी क्षेत्र की मौजूदा आंतरिक इक्विटी डाल्यूशन के बिना । (www.petroeum.nic.in)
(ख)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए उनमें निवेश/ वित्त पोषण, बुनियादी सुविधाएं लगाने सहित रिफायनिंग और मार्केट स्टडी के अतिरिक्त	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी सेक्टोरल विनियम के अधीन । (www.petroeum.nic.in)
30.	प्रिंट मीडिया			
(क)	समाचार और सामयिक विषयों पर समाचारपत्र और	26%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा

	आवधिक प्रकाशित करने वाली कंपनिया			अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
(ख)	वैज्ञानिक पत्रिकाएं / विशेष विषय पर जर्नल /आवधिक प्रकाशित करने वाली कंपनिया	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
31.	दूरसंचार			
क.	बेसिक और सेलूलर , यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज/ लंबी दूरी वाले इंटरनेशनल वी- सेट , पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज (पीएमआरटीएस) , ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन में सर्विसेज में और अन्य उत्कृष्ट दूरसंचार सर्विसेज	74%(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश,विदेशी संस्थागत निवेश,भारतीय अनिवासी निवेश,एफसीसीबीएस , एडीआरएस , जीडीआर , परिवर्तनीय अधिमान शेयर और भारतीय प्रवर्तकों/ विनिवेशक कंपनियों में पोर्टफोलियो विदेशी इक्विटी को शामिल करते हुए)	49% - तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एफआइपीबी द्वारा	19 अप्रैल 2007 के प्रेस नोट 3(2007सिरीज) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
ख.	आईएसपी के साथ गेटवे, रेडिओ पेजिंग और लंबाई में अथवा सिरे से सिरे तक बैंड चौड़ाई में	74%	49% तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एफआइपीबी	यह सेवाएं दूरसंचार विभाग (www.dotindia.com) द्वारा अधिसूचित लाइसेसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के अधीन

			द्वारा	
ग.	क) गेटवे उपलब्ध न करानेवाले आईएसपी ख) डार्क फाइबर उपलब्ध करानेवाले इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स , डक्ट, खुला स्थान और टॉवर की दाहिनी ओर (आईपी श्रेणी -I) ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस मेल	74%	49% तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एफआईपीबी द्वारा	यदि ये कंपनियां दुनिया के अन्य देशों में भी सूचीबद्ध हैं तो वे 5 वर्ष में अपने ईक्विटी के 26 % तक जनता के पक्ष में निवेश करेंगी । यह सेवाएं दूरसंचार विभाग (www.dotindia.com) द्वारा अधिसूचित लाइसेसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के भी अधीन ।
घ.	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	सेक्टोरल (www.dotindia.com) अपेक्षाओं के भी अधीन ।
32.	व्यापार			
क	कैश &कैरी थोक व्यापार	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	10 फरवरी 206 के प्रेस नोट 3(2006 सिरीज) द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में ट्रेडिंग के लिए अधिसूचित औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन ।:
ख	निर्यात के लिए ट्रेडिंग	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	--
ग	लघु उद्योग क्षेत्र के स्रोत से वस्तुओं का व्यापार	100%	एफआईपीबी द्वारा	--
घ	उन वस्तुओं की टेस्ट-मार्केटिंग जिनके उत्पादन के लिए कंपनी ने अनुमोदन प्राप्त किया है ।	100%	एफआईपीबी द्वारा	ऐसी वस्तुओं की टेस्ट मार्केटिंग जिसके लिए कंपनी को उत्पाद की अनुमति है बशर्ते कि ऐसी टेस्ट मार्केट सुविधा दो साल के अवधि की हो और उत्पादन सुविधाओं में निवेश का प्रारंभ टेस्ट मार्केटिंग के साथ किया हो
ङ	सिंल ब्रांड उत्पादन का खुदरा व्यापार	51%	एफआईपीबी द्वारा	--
33.	**सेटलाइट:स्थापना और परिचालन**	74%	एफआईपीबी द्वारा	अंतरिक्ष/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (www.iso.org) द्वारा जारी सेक्टोरल दिशा-निर्देशों के अधीन

				।
34.	विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त व्यापार भंडारण, इन क्षेत्रों को स्थापित करना और इनमें इकाइयां खोलना	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और विदेश व्यापार नीति के अधीन । (www.sezindia.nic.in)
35.	ड्रग्स और फॉर्मास्युटिकल्स	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	-

पाद-टिप्पणी : उपर्युक्त अनुबंध आ में उल्लिखित उपर्युक्त सभी क्षेत्र /कार्य/कलाप भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी संबंधित प्रेस नोटों द्वारा नियंत्रित हैं ।

		संलग्नक -2 भाग-I,खंड-I, पैरा-3 देखें)
(अ)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सभी कार्यकलापों/ क्षेत्रों में निम्नलिखित परिस्थितियों में भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है :	
	(i)	जहाँ भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट-1 के प्रावधान लागू हो रहे हों ।
	(ii)	जहाँ पर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण हेतु 24 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी में लगाना प्रस्तावित किया जाने वाला हो ।
(आ)	I.	खुदरा व्यापार
	II.	पमाणु ऊर्जा
	III.	लॉटरी कारोबार
	IV.	जुआ और सट्टेबाजी
	V.	चिटफंड का कारोबार
	VI.	निधि कंपनी
	VII.	परिवर्तनीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआरएस)के अंतरण का कार्य
	VIII.	वे कार्यकलाप/क्षेत्र जिनके लिए निजी क्षेत्र निवेश उपलब्ध नहीं है
	IX.	कृषि, (नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के अधीन पुष्पखेती, बागबानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन और कृषिकीय तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में सब्जी, मश्रूम आदि की खेती को छोड़कर) और बाग़ान (चाय बाग़ान को छोड़कर)
	X.	स्थावर संपदा कारोबार अथवा फॉर्म हाउसों का निर्माण

भारत में निवासी व्यक्ति से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से भारत में निवासी व्यक्ति को बिक्री द्वारा शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरण की शर्तें

1.1 वित्तीय सेवा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों से इतर किसी भारतीय कंपनियों के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में बिक्री के द्वारा अंतरण से संबंधित मूल्यांकन प्रलेखीकरण भुगतान/ प्राप्ति और प्रेषण संबंधी चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेंगी।

1.2 **लेनदेन में शामिल पार्टियां** : अपनी बही में स्वामित्व के अंतरण के रिकार्डिंग के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां (क) विक्रेता (निवासी/ अनिवासी), (ख) क्रेता (निवासी/ अनिवासी) (ग) विक्रेता और/ अथवा क्रेता का विधिवत प्राधिकृत एजेंट, (घ) प्राधिकृत व्यापारी शाखा और (ङ) भारतीय कंपनी हैं।

2. **मूल्य निर्धारण -दिशा-निर्देश**

2.1 निम्नलिखित मूल्य निर्धारण के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार के लेनदेनों पर लागू हैं:

(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा निजी व्यवस्था के तहत बिक्री के माध्यम से शेयरों का अंतरण,

(ii) भारत में निवासी व्यक्ति को भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निजी व्यवस्था के तहत बिक्री के माध्यम से शेयरों का अंतरण

2.2 **निवासी द्वारा अनिवासी को अंतरण** (अर्थात् पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कंपनी निकायों, विदेशी राष्ट्रीक, अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों से इतर निगमित अनिवासी कंपनियों को)।
निवासी द्वारा अनिवासी को बिक्री के माध्यम से अंतरित शेयरों का मूल्य निम्नलिखित से कम न हो।

(क) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के मामले में प्रचलित बाज़ार मूल्य

(ख) गैर-सूचीबद्ध शेयरों के मामले में, पूंजीगत निर्गमों के पूर्ववर्ती नियंत्रक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सनदी लेखाकार द्वारा किए गए शेयरों का उचित मूल्यांकन

इस प्रकार परिकलित प्रति शेयर मूल्य को सनदी लेखाकार प्रमाणित किया जाए।

2.3 **अनिवासी द्वारा निवासी को अंतरण** (अर्थात् निगमित अनिवासी कंपनियों, पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कंपनी निकायों, विदेशी राष्ट्रीकों, अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा)
अनिवासी द्वारा निवासी को शेयरों की बिक्री मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के विनियम 10आ(2) के अनुसार की जाएगी:

(क) जहां भारतीय कंपनियों के शेयरों का क्रय-विक्रय स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है,

(i) बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में प्रचलित बाज़ार दर पर होती है तथा इसका अंतरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत मर्चेंट बैंकर अथवा स्टॉक एक्सचेंज के पास पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से किया जाता है;

(ii) यदि खंड (i) में उल्लिखित से इतर प्रकार से अंतरण किया जाता है, आवेदन की तारीख से एक सप्ताह पूर्व के लिए 5 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ औसत भाव (दैनिक उच्च और निम्न का औसत) को लेकर मूल्य निर्धारित किया जाता है। फिर भी, जहां भारत में वर्तमान प्रोमोटर को विदेशी सहयोगी अथवा भारतीय कंपनी का विदेशी प्रोमोटर, निवासी प्रोमोटर के पक्ष में प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करने के प्रयोजन से शेयरों की बिक्री कर रहा है वहां बिक्री प्रस्ताव को उस मूल्य पर माना जाएगा जिसमें उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित मूल्य से ऊपर 25 प्रतिशत की उच्चतर सीमा हो सकती है।

(ख) जहां किसी भारतीय कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है अथवा कम व्यापार होता है,

i) यदि अंतरण के लिए देय प्रतफल शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में भारतीय कंपनी, जिसके शेयरों का अंतरण प्रस्तावित है, के सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर वर्तमान में प्रचलित किसी मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर विक्रेता और क्रेता के बीच पारस्परिक सहमत मूल्य पर प्रति विक्रेता प्रति कंपनी 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

ii) यदि अंतरण के लिए देय राशि विक्रेता के विकल्प पर निम्नप्रकार किसी एक प्रकार से परिकलित मूल्य पर प्रति वक्रिता प्रति कंपनी 20 लाख रु से अधिक है अर्थात् :

अ) कीमत अर्जन गुणज संबद्ध अर्जन प्रति शेयर पर आधारित कीमत या बही मूल्य गुणज संबद्ध निवल परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित कीमत जो भी अधिक हो,

अथवा

आ) रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित छोटे समूहों में प्रचलित बाज़ार कीमत, ताकि संपूर्ण शेयरधारिता स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली के माध्यम से पांच दिनों से अनधिक में बेचा जाता है,

अथवा

इ) जहां शेयर किसी शेयर एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है वहां उस कीमत पर जो शेयर के दो स्वतंत्र मूल्यांकन से कम है, पहला कंपनी के सांविधिक सनदी लेखापरीक्षक द्वारा और दूसरा सनदी लेखापाल अथवा सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी I के मर्चेंट बैंकर द्वारा।

स्पष्टीकरण :

i. किसी शेयर को कम व्यापारवाले के रूप में समझा जाता है यदि भारत में मुख्य स्टॉक एक्सचेंज में उस शेयर में सालाना व्यापार पण्यावर्त आवेदन किए गए महीने के अनुवर्ती छः कैलेंडर महीनों के दौरान सूचीबद्ध स्टॉक के 2 प्रतिशत (शेयरों की संख्या द्वारा) से कम है।

ii. प्रति शेयर निवल परिसंपत्ति मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए आगे लाए गए विविध खर्च, संचित हानियां, कुल बाहर की देयताएं, आरक्षित निधियों का पुनर्मूल्यांकन और पूंजी आरक्षित निधियां (नकदी में प्राप्त अनुदान को छोड़कर) को कुल परिसंपत्ति मूल्य से घटा दिया जाएगा और इस प्रकार परिकलित निवल आंकड़ों को जारी और प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की संख्या से भाग दिया जाएगा। दूसरी ओर, अमूर्त परिसंपत्तियों को ईक्विटी पूंजी और आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों को छोड़कर) से घटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार परिकलित आंकड़ों को जारी और प्रदत्त ईक्विटी शेयरों द्वारा भाग दिया जाएगा। इस प्रकार परिकलित निवल परिसंपत्ति मूल्य का उपयोग उस माह जिसमें आवेदन किया गया है, के तत्काल पूर्ववर्ती कैलेंडर माह के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय सूचकांक के औसत बीवी गुणज के संयोजन से किया जाएगा और बीवी गुणज पर 40 प्रतिशत बट्टा काटा जाएगा।

iii. अर्जन प्रति शेयर पर आधारित मूल्य की गणना के लिए कंपनी के अंतिम तुलनपत्र के अनुसार अर्ज पति शेयर का उपयोग उस माह, जिसमें आवेदन किया गया है, के तत्काल पूर्ववर्ती कैलेंडर माह के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय सूचकांक के औसत बीवी गुणज के संयोजन से किया जाएगा और बीवी गुणज पर 40 प्रतिशत बट्टा काटा जाएगा।

3. <u>पार्टियों का दायित्व /बाध्यता</u>

लेनदेन में शामिल सभी पार्टियों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि फेमा के तहत संबंधित विनियमों का अनुपालन किया जाता है तथा शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा यथानिर्धारित संबंधित अलग-अलग सीमाओं/ क्षेत्रीय सीमाओं/ विदेशी ईक्विटी सहभागिता सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। लेनदेनों का निपटान लागू करों, यदि कोई है, के भुगतान के बाद किया जायेगा ।

4. <u>भुगतान और प्रेषण/ बिक्री आय को जमा करने की प्रणाली</u>

4.1 भारत से बाहर के निवासी द्वारा शेयरों की खरीद से प्राप्त बिक्री आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा। क्रेता के विदेशी संस्थागत निवेशक होने की स्थिति में भुगतान इसके विशेष अनिवासी रुपया खाते में नामे डालकर किया जाएगा। यदि क्रेता अनिवासी भारतीय है तो, भुगतान उसके अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता में नामे डालकर किया जाए। फिर भी, अनिवासी भारतीय द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अधिगृहीत शेयरों के मामले में आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा अथवा अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)/ अनिवासी रुपया खाते की निधियों से चुकाया जाएगा।

4.2 भारत से बाहर के निवासी द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्री आय (करों का निवल) को भारत से बाहर प्रेषित किया जाए। विदेशी संस्थागत निदेशक बिक्री आय को इसके विशेष अनिवासी रुपया खाता में जमा किया जाए। अनिवासी भारतीय के मामले में, यदि बेचे गए शेयरों को प्रत्यावर्तन आधार पर रखा गया था, तो बिक्री आय (करों का निवल) को अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों में जमा किया जाए तथा यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे, तो बिक्री आय कर का भुगतान करके इसे अनिवासी सामान्य (चालू) खाते में जमा की जाए।

4.3 विदेशी कंपनी निकायों द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्री आय (करों का निवल) को सीधे भारत से बाहर भेजा जा सकता है यदि शेयरों को प्रत्यावर्तन आधार पर रखा गया था और यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे तो बिक्री आय कर का भुगतान करके इसे अनिवासी सामान्य (चालू) खाते में जमा की जाए।

5. प्रलेखीकरण

संलग्न फार्म एफसी-टीआरएस (तीन प्रतियों में) में घोषणा प्राप्त करने के अलावा, प्राधिकृत व्यापारी शाखा निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने और उसका रिकार्ड रखने की व्यवस्था करे :

5.1 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री

(i) अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा

रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र। औपचारिक क्रय करार न होने की स्थिति में, इस आशय के अदलाबदली किए गए पत्र को रिकार्ड में रखा जाए।

(ii) उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता को प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी दस्तावेज।

(iii) श्रेणीवार निवासी और अनिवासी (अर्थात् अनिवासी भारतीय/ विदेशी कंपनी निकाय/ विदेशी राष्ट्रीक/ निगमित अनिवासी कंपनियां/ विदेशी संस्थागत निवेशक) की ईक्विटी सहभागिता और विक्रेता/ क्रेता अथवा कंपनी जहां सेक्टोरियल कैप/ सीमा निर्धारित की गई है, द्वारा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत को दर्शाते हुए भारत के बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों के अधिक्रहण के बाद निवेशिती कंपनी की शेयर धारिता का स्वरूप

(iv) सनदी लेखाकार से प्राप्त शेयरों के उचित मूल्य को दर्शानेवाला प्रमाणपत्र

(v) यदि बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गई है तो ब्रोकर के नोट की प्रति

(vi) क्रेता से इस आशय का वचनपत्र कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अधिग्रहण के लिए वह पात्र है तथा वर्तमान क्षेत्रीय सीमा और मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

(vii) संस्थागत निवेशक/ उप लेखा से इस आशय का वचनपत्र कि सेबी द्वारा यथा निर्धारित अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप लेखा सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

5.2 भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए

i. अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ii. उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता को प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी दस्तावेज।

iii. यदि विक्रेता अनिवासी भारतीय/ विदेश कंपनी निकाय हैं तो प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा रखे गए शेयरों का सबूत देनेवाले भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदनों की प्रतियां। बिक्री आय को यथा लागू अनिवासी विदेशी/ अनिवासी रुपया खाते में जमा किया जाएगा।

iv. सनदी लेखाकार से शेयरों का उचित मूल्य दर्शानेवाला प्रमाणपत्र

v. आयकर प्राधिकरण/ सनदी लेखाकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र।

vi. क्रेता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि मूल्य निर्धारण में मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

6. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

6.1 निवासी से अनिवासी अथवा अनिवासी से निवासी के बीच शेयरों का अंतरण फार्म एफसी-टीआरएस में किया जाना है । वसूली की राशि की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर फार्म एफसी-टीआरएस प्राधिकृत व्यापारी के पास जमा करना किया जाना चाहिये । निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्म एफसी-टीआरएस जमा करने की जिम्मेदारी भारत में निवास करने वाले अंतरकर्ता/अंतरिती की है । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उसे संपर्क कार्यालय को अग्रेसित करेगा । संपर्क कार्यालय इन फॉर्मों को समेकित करके एक मासिक रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को प्रेषित करेगा ।

6.2 प्राधिकृत व्यापारी , इस प्रयोजन के लिए ,विशेष रूप से ऐसे लेनदेन करने के लिए शाखाओं को नामित करें। इन इन शाखाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ को रखा जाए ताकि लेनदेनों का सुगमतापूर्वक किया जाना सुनिश्चित हो सके । प्राधिकृत व्यापारी इन शाखाओं के कार्यों के समन्वयन के लिए एक नोडल कार्यालय को नामित भी करे और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि इन लेनदेनों की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की जाती है ।

जब अंतरण निजी व्यवस्था आधार पर होता है, लेनदेन के निपटान पर अंतरिती/ विधिवत नियुक्त किया गया उसका एजेंट फार्म एफसी-टीआरएस में प्राधिकृत व्यापारी शाखा से प्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ कि अंतरकर्ता ने प्रेषण प्राप्त कर लिया है/ अंतरिती द्वारा भुगतान किया गया है, अपनी बहियों में अंतरण दर्ज करने के लिए निवेशिती कंपनी से संपर्क करे। प्राधिकृत व्यापारी से प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर कंपनी अपनी बहियों में अंतरण को रिकार्ड करे।

6.2 प्राधिकृत व्यापारी शाखा शेयरों के ऐसे अंतरण के कारण हुए निधियों के वास्तविक आवक और जावक की सूचना यथासमय आर-विवरणी में करेगा।

6.4 इसके अलावा , प्राधिकृत व्यापारी शाखा संलग्न प्रोफार्मा में (जिसमें एमएस-एक्सेल फार्मेट में तैयार किया जाना है) आइबीडी/ एफईडी अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित नोडल अधिकारी को बिक्री के माध्यम से शेयरों के अंतरण के संबंध में प्राप्त/ किए गए प्रेषणों के कारण हुए बहिर्वाह/ अंतर्वाह निधियों के विवरण के साथ अपने ग्राहकों से प्राप्त फार्म एफसी-टीआरएस दो प्रतियों में प्रस्तुत करे। आइबीडी/ एफईडी अथवा बैंक का नोडल कार्यालय अपनी पारी आने पर अपनी शाखाओं से प्राप्त एफसी-टीआरएस फार्मों की प्रतियों के साथ अपनी शाखाओं द्वारा सूचित सभी लेनदेनों के संबंध में एक समेकित मासिक विवरण विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेश निवेश प्रभाग, केन्द्रीय

कार्यालय, मुंबई को सॉफ्ट कॉपी (एमएस-एक्सेल में) में fdidata@rbi.org.in को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करेगा।

6.5 निजी व्यवस्था के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदे/ बेचे गए शेयर उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते के नामे/ जमा डाले जाएंगे। अतः संबंधित विदेशी संस्थागत निवेशक के नामित बैंक द्वारा लेनदेन की रिपोर्टिंग **भी** की जानी चाहिए।

6.6 पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत अनिवासी भारतीय, विदेशी कंपनी निकायों द्वारा खरीदे गए भारतीय कंपनियों के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को निजी व्यवस्था के तहत बिक्री के माध्यम से अंतरित नहीं किया जा सकता है।

6.7 प्राधिकृत व्यापारी से विवरण की प्राप्ति पर, रिज़र्व बैंक अंतरणकर्ता अंतरिती की अपेक्षानुसार यथावश्यक अतिरिक्त ब्योरे मंगा सकता है अथवा निदेश दे सकता है।

* * * * * * *

अनुबंध -4
(भाग-I, खंड- I, पैरा 22)

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार के तौर पर भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को शेयर का अंतरण करने के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज़

i. अंतरणकर्ता (दाता) और अंतरिती (आदाता) का नाम और पता।
ii. अंतरणकर्ता और अंतरिती के बीच रिश्ता।
iii. उपहार देने के कारण।
iv. सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खज़ाना बिलों तथा बांडोंके मामले में ऐसे प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य पर सनदी लेखाकार द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र
v. घरेलू म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों और मुद्रा बाज़ार म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों के मामले में ऐसे प्रतिभूति के निवल परिसंपत्ति मूल्य के संबंध में जारीकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र ।
vi. शेयरों और डिबेंचरों के मामले में, सेक्यूरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अथवा पूर्ववत सीसीआइ के क्रमशः सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऐसे प्रतिभूतियों के मूल्य के संबंध में सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र ।
vii. संबंधित भारतीय कंपनी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि निवासी से अनिवासी को उपहार के तौर पर शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेचरों का प्रस्तावित अंतरण लागू सेक्टोरल कैप/ कंपनी में लागू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और कि अनिवासी अंतरिती द्वारा धारित शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रस्तावित संख्या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के **5** प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगा।

viii. निवासी अंतरणकर्ता से इस आशय का एक वचनपत्र कि अंतरणकर्ता द्वारा ए भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को पहले ही अंरित की जा चुकी किसी प्रतिभूति सहित अंतरित की जा रष प्रतिभूति का मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान 25 000 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक न हो ।

<u>अनुबंध-5</u>
(भाग-I, खंड- I, पैरा 22)

कंपनी अधिनियम, 1956 के खण्ड 6 में यथा उल्लिखित "रिश्तेदार" की परिभाषा

♦ एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार तभी और सिर्फ तभी माना जाएगा जब :

(क) वे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य हैं; अथवा

(ख) वे पति पत्नी हैं; अथवा

(ग) उनका एक दूसरे से सूची Iअ में दर्शाये अनुसार (निम्नानुसार) रिश्ता है

1. पिता
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. बेटा (सौतेला बेटा सहित)
4. बेटे की पत्नी
5. बेटी (सौतेली बेटी सहित)
6. पिता के पिता
7. पिता की माता
8. माता की माता
9. माता के पिता
10. बेटे का बेटा
11. बेटे के बेटे की पत्नी
12. बेटे की बेटी
13. बेटे की बेटी के पति
14. बेटी का पति
15. बेटी का बेटा
16. बेटी के बेटे की पत्नी
17. बेटी की बेटी
18. बेटी की बेटी के पति
19. भाई (सौतेला भाई सहित)
20. भाई की पत्नी
21. बहन (सौतेली बहन सहित)
22. बहन का पति

अनुबंध-6

(भाग-I, खंड- I, पैरा 18(i)(क)

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए उगाही गई राशि प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा रिपोर्ट

(3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 20/2000 आरबी. की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(अ) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जमा किया जाना है।

आयकर विभाग द्वारा निवेशक कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)													

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)	
1.	नाम क्षेत्रीय कार्यालय का पता फैक्स टेलीफोन ई-मेल		
2.	विदेशी निवेशक/ सहयोगी संस्था के ब्योरे		
	नाम पता देश		
3.	निधियां प्राप्ति की तारीख		
4.	राशि	विदेशी मुद्रा में	भारतीय रुपयों में
5.	क्या निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? यदि अनुमोदन मार्ग के तहत हो तो कृपया ब्योरे दें (अनुमोदन की संदर्भ संख्या और दिनांक) दें ।	स्वत: अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग	

6.	प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके माध्यम से प्रेषण प्राप्त किया गया है ।	
7.	प्राधिकृत व्यापारी का पता	

उपर्युक्त के अनुसार शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए उगाही गई राशि प्राप्त होने के सबूत के तौर पर एफआईआरसी की उक प्रति इसके साथ संलग्न है ।

निवेशिती कंमनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर (मुहर)	प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर (मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

प्रेषण प्राप्ति हेतु आबंटित यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर :

अनुबंध-7
(भाग-I, खंड- I, पैरा 18(i)(क)

अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए "

प्रेषक/ निवेशक का पंजीकृत नाम (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो उसका नाम दिया जाए)	
पंजीकरण संख्या(यूनीक पहचान संख्या * (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता , (यदि प्रेषक कोई व्यक्ति हो)	
प्रेषक के बैंक का नाम	
प्रेषक के साथ कब से बैंकिंग तालुकात हैं ?	

पासपोर्ट नं., सोशियल सिक्योरिटी नं., अथवा अन्य कोई यूनीक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है ।
हम इसकी पुष्टि करते हैं कि समुद्रपारीय बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है ।

प्रेषन प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक : स्थान :

मुहर

अनुबंध-8
(भाग-I, खंड- I, पैरा 18(iii)

एफसी-जीपीआर

भाग-अ

(जब कभी विदेशी निवेशकों को शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाएं इस फॉर्म के साथ संलग्न वचन पत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जमा किया जाना है।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशक कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)	

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम	
	पंजीकृत कार्यालय का पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण सं.	
	मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जो लागू न हो उसे काट दें)	मौजूदा कंपनी/नई कंपनी
	मौजूदा कंपनी के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
	फैक्स	
	टेलीफोन	

	ई-मेल	
2.	**मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा**	
	एनआइसी कूट	
	परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआइसी कूट	
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत	
	उल्लेख करें कि क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? जो न लागू हो , उसे काट दें।	
3.	**विदेशी सहयोगी के ब्योरे**	
	नाम पता देश गठन (उल्लेख किया जाए कि क्या निवेश करने वाली ईक्विटी 1. कोई व्यक्ति 2. कंपनी 3. विदेशी संस्थागत निवेश 4. विदेशी जोखिम पूंजी 5. विदेशी न्यास 6. निजी ईक्विटी फंड 7. पेशन/ प्रोविडेंट फंड 8. सरकारी धन निधि 9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्ढ़ 10. वित्तीय संस्थान 11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति 12. अन्य गठन की तारीख	

4.	**जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे**			
(क)	**निर्गम का स्वरूप और तारीख**			
		निर्गम का स्वरूप	**निर्गम की तारीख**	**शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या**
	01	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/एफपीओ		
	02	अधिमान आबंटन/निजी स्थान नियोजन		
	03	अधिकार		
	04	बोनस		
	05	बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन		

	06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)		
	07	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं		
	08	अन्य (कृपया उल्लेख करें)		
	09	शेयर स्वैप		
	10	अन्य(कृपया स्पष्ट करे)		
		कुल		

ख	**जारी किए गए प्रतिभूति का प्रकार**						
	संख्या	प्रतिभूति का स्वरूप	संख्या	परिपक्वता	अंकित मूल्य	निर्गम मूल्य प्रति शेयर	आवक राशि
	01	ईक्विटी					
	02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर					
	03	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर					
	04	अन्य					

i) निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।

ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र

ग	**प्रीमियम का ब्रेक-अप**	**राशि**
	कंट्रोल प्रीमियम	
	गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	
	अन्य*	
	कुल	

कृपया स्वरूप लिखें

घ	निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से कुल आवक (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण (ii) ________ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे (iii) अन्य समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के पैरा 9(1)अ (i) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को उपर्युक्त (i) रिपोर्ट करने की तारीख			
ङ	**जारी किए गए शेयरों का उचित मूल्य का प्रकटीकरण**			
	हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है*			
	हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है*			

*** शेयर के निर्गम से पहले*   **(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)*

5.	निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप							
	निवेशक वर्ग		ईक्विटी			अधिमान शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर		
			शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य)रु	%
क)	अनिवासी							
	01	कोई व्यक्ति						
	02	कंपनी						
	03	विदेशी संस्थागत निवेश						
	04	विदेशी जोखिम पूंजी						
	05	विदेशी न्यास						
	06	निजी ईक्विटी फंड						
	07	पेशन/ प्रोविडेंट फंड						
	08	सरकारी धन निधि						
	09	साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्ढ़						
	10	वित्तीय संस्थान						
	11	अनिवासीभारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति						
	12	अन्य						
		उप-कुल						
	ख)	निवासी						
कुल								

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरी जानेवाली घोषणा :
(जो लागू न हो उसे काट कर हस्ताक्षर करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि -

1. हम समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए गए अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत क्षेत्रीय नीति/ सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् (जो लागू न हो उसे काट दें)

   क) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है (12

जनवरी 2005 के 2005 सिरीज़ के प्रेस नोट 1 में अनुबद्ध निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है)।

अथवा

विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।

ख)हम लघु उद्योग इकाई नहीं हैं ।

अथवा

हम लघु उद्योग इकाई हैं तथा प्रदत्त पूंजी की 24 प्रतिशत की निवेश सीमा का अनुसरण किया है/ अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।

ग) अधिकार आधार पर जो निवासियों को जारी किए गए शेयर समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 को जारी अधिसूचना सं.20/2000-आरबी के अनुरूप है ।

अथवा

ङ) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

अथवा

शेयर भारत में कोर्ट द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अथवा उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन और समामेलन की योजना अथवा विलयन न करके अथवा अन्य प्रकार द्वारा पुनर्निर्माण की योजना के तहत
जारी किए गए हैं ।

अथवा

शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध मे शर्तों को पूरा किया गया है।

3. शेयर दिनांक . . . . के एसआइए/एफआइपीबी अनुमोदन सं. के अनुसार जारी किए गए हैं ।

4. हम इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(आ) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

(i) कंपनी-सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि:
   (क) कंपनी अधिनियम 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं
   (ख) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों , यदि कोई हों, उनका अनुपालन कर लिया गया है ।
   (ग) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारि करने की पात्र है ।
   (घ) कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना

सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी प्रमाणपत्र मौजूद हैं ।

(ii) सांविधिक/ सनदी लेखाकार से भारत से बाहर रहने व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत नियत करने का तरीका बताते हुए एक प्रमाणपत्र ।

5. शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी एगाही के रूप में प्राप्त प्रेषणों के लिए जारी यूआईनंबर ।

आर							

आर							

(आवेदक का हस्ताक्षर)* : ____________________

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांक:

(*कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

<u>निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा भरा जानेवाला प्रमाणपत्र :</u>

(मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(आ)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अपेक्षाओ को पूरा किया गया है।
2. सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया गया है।
3. इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।
4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौजूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(आ) के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति का सबूत है।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)
(मुहर)

• * * * * * * * * * * * * *

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण नंबर:

प्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन

आर										

[30 मई 2008 के एपी(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.44 के अनुबंध-1 का भाग आ]

एफसी-जीपीआर

भाग-आ

i) फॉर्म एफसी-जीपीआर का यह भाग भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-9, 8वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 को प्रस्तुत किया जाए (टेलीफोन : 26571265, 26572513 : फैक्स : 26570848 :ई-मेल : e mail: surveyfla@rbi.org.in

ii) पूर्ववती वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के दौरान भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष/ पोर्टफोलिया/ पुनः निवेशित अर्जनों/ अन्य के रूप में किए गए सभी निवेशों से संबंधित इस वार्षित विवरणी को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रस्तुत किया जाए।(अर्थात् 31 जुलाई 2008 तक प्रस्तुत भाग अ में प्रस्तुत जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवेशों से संबंधित होगी। रिपोर्ट किये जाने वाले निवेशों में कंपनी में किए गये वे सभी निवेश शामिल होंगे जो कि तुलनपत्र की तारीख में बकाया होंगे । कंपनी में प्रत्यक्ष/संभागीय दोनों के तहत किये गये समुद्रपारीय निवेशों के ब्योरे अलग से दर्शाये जायें। कृपया आवश्यक जानकारी संकतिल करने के लिए मार्च के अंत की बाजार-कीमतें/ विनिमय दरें प्रयोग की जायें।

आयकर विभाग द्वारा कंपनी को आबंटित स्थायी खाता संख्या (पैन)		
सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम पता राज्य रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को दिया गया पंजीकरण सं.	
2.	संपर्की का नाम : टेलीफोन फैक्स	ईमेल : वेबसाइट (यदि कोई है)
3.	खाता बंद करने की तारीख	
4.	पहले प्रस्तुत सूचना के संबंध में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसके ब्योने (कंपनी/ कंपनी के	

	नाम/ जगह, कार्यकलाप, आदि में परिवर्तन)	
5.	क्या कंपनी सूचीबध्द है अथवा गैर-सूचीबध्द	सूचीबध्द है अथवा गैर-सूचीबध्द
5.1	यदि सूचीबध्द है, I. मार्च के अंत में प्रति शेयर की कीमत II. अद्यतन तुलनपत्र की तारीख में प्रति शेयर की निवल कीमत	
5.2	यदि गैर-सूचीबध्द है, अद्यतन तुलनपत्र की तारीख में प्रति शेयर की निवल कीमत	

6. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश				
	राशि लाख रुपये में			
	भारत में विदेशी देयताएं*		**भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां##**	
	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया
6.0 ईक्विटी पूंजी				
6.1 अन्य पूंजी'				
6.2 वर्ष के दौरान विनिवेश				
6.3 वर्ष के दौरान रोके गए अर्जन				
7. पोर्टफोलिया और अन्य निवेश [उपर्युक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत उल्लिखित से इतर बकाया निवेशों को यहां प्रस्तुत करें]				
	राशि लाख रुपये में			
	भारत में विदेशी देयताएं*		**भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां##**	
	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	**चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया**	**पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया**	**चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया**
7.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां				
7.1 ऋण प्रतिभूतियां				
7.1.1 बांड और नोट				
7.1.2 मुद्रा बाज़ार लिखतें				
7.2 वर्ष के दौरान भारत मे विनिवेश				
8. वित्तीय डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल्य)				
9. अन्य निवेश				
9.1 व्यापार ऋण				
9.1.1 अल्पावधि				
9.1.2 दीर्घावधि				
9.2 ऋण	नीचे नोट@ देखें			
9.3 अन्य				

9.3.1 अल्पावधि				
9.3.2 दीर्घावधि				

10.	मार्च अंत में शेयर धारिता का पैटर्न							
	निवेशक वर्ग/ निवेशक संस्था का स्वरूप		ईक्विटी			अनिवार्य रूप से अधिमान शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर		
			शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य)रु	%
क)	अनिवासी							
	01	कोई व्यक्ति						
	02	कंपनी						
	03	विदेशी संस्थागत निवेश						
	04	विदेशी जोखिम पूंजी						
	05	विदेशी न्यास						
	06	निजी ईक्विटी फंड						
	07	पेशन/ प्रोविडेंट फंड						
	08	सरकारी धन निधि						
	09	साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्ड़						
	10	वित्तीय संस्थान						
	11	अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति						
	12	अन्य						
	उप-कुल							
ख)	निवासी							
		कुल						

11.	वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्ति	
	प्रत्यक्ष रूप से	
	अप्रत्यक्ष रूप से	
	कुल	

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)* :

____

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

पदनाम :

स्थान :

दिनांकः

कृपया **अनिवासी निवेशकों (प्रत्यक्ष निवेशकों)** के, जिसकी रिपोर्टिंग की तारीख को **आपकी कंपनी** के सामान्य शेयरों के **10 प्रतिशत या उससे अधिक** की धारिता है, शेष निवेशों को प्रस्तुत करें।
कृपया देश के बाहर के अपने प्रत्येक निवेश यहां प्रस्तुत करें जिसमें रिपोर्टिंग की तारीख को **आपकी कंपनी** अनिवासी भारतीय उद्यम के **10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक** के सामान्य शेयर की धारक है।
मार्च अंत के बाजार मूल्य/ विनिमय दर का उपयोग करें।
[र] अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक और निवेशिती/ रिपोर्टिंग कंपनी के बीच अन्य पूंजीगत लेनदेनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
(i) समुद्रपारीय निवेशकों से अल्पावधि उधार, (ii) समुद्रपारीय निवेशकों से दीर्घावधि उधार, (iii) व्यापार ऋण, (iv) आपूर्तिकर्ता ऋण, (v) वित्तीय लीज़िंग, (vi) नियंत्रण प्रीमियम, (vii) शेयरों को शामिल नहीं करनेवाले मामलों में गैर-स्पर्धा शुल्क, (viii) तकनीकी अंतरण, संयंत्र और मशीनरी, गुडविल, कारोबार विकास और इसी प्रकार के प्रयोजनों के एवज में शेयरों का गैर-नकदी अधिग्रहण और (ix) वर्ष के दौरान अचल संपत्ति में किए गए निवेश।

[@] नोट : चूंकि आपकी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के ब्योरे बाह्य वाणिज्यिक उधार विवरणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अलग से प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, आपकी कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य ऋणों के ब्योरों को भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारत के बाहर पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम को आपकी कंपनी द्वारा दिए गए बाह्य ऋणों की रिपोर्टिंग की जाए।

(*कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

* * * * * * * * * * * * * * * * *

<u>अनुबंध-9</u>

(भाग-1, खंड-1 पैरा21(ii))

<table>
<tr><td colspan="3">फार्म एफसी-टीआरएस</td></tr>
<tr><td colspan="3">निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा
शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों के अंतरण के बारे में घोषणा</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(प्राधिकृत व्यापारी शाखा को धन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है।)</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td colspan="2">निम्नलिखित दस्तावेज संलग्नक किए गए हैं ;
भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री के लिए</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बाद वाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के शेयरधारिता का तरीका</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में किया हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति।</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>क्रेता से इस बात का आश्वासन पत्र कि वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों अधिगृहीत करने का पात्र है और वर्तमान सेक्टोरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण दिशानिदेशों का पालन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते से इस बात का आश्वासन पत्र कि सेबी द्वारा निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज</td></tr>
<tr><td></td><td>(vii)</td><td>अगर विक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के</td></tr>
</table>

		तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां
	(viii)	आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से आपत्ति नहीं/ कर देय नहीं प्रमाणपत्र।
1	**कंपनी का नाम**	
	पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)	
	कार्यकलाप	
	एनआइसी कूट सं.	
2	**क्या स्वतःअनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है?**	
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत क्षेत्रीय सीमा	
3	**लेनदेन का स्वरूप** ***(जो लागू न हो उसे काट दें)***	निवासी से अनिवासी को अंतरण अनिवासी से निवासी को अंतरण
4	**क्रेता का नाम**	
	विनिवेशक संस्था का गठन/स्वरूप **स्पष्ट करें कि क्या,**	
	1. कोई व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेश	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्ढ़	
	10. वित्तीय संस्थान	
	11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति	
	12. अन्य	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	क्रेता का नाम व पता (इ-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स आदि शामिल करें)	
5.	**बिक्रेता का नाम**	
	विनिवेशक संस्था का गठन/स्वरूप	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	1. कोई व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेश	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेशन/ प्रोविडेंट फंड	

	8. सरकारी धन निधि	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्ढ़	
	10. वित्तीय संस्थान	
	11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति 12.	
	13. अन्य	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	बिक्रेता का नाम व पता (इ-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स आदि शामिल करें)	
6.	**भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पिछले अनुमोदन के ब्यौरे**	
7.	**अंतरित किये जाने वाले शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों के ब्यौरे**	

लेनदेन करने की तारीख	शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/डिबेंचरों की संख्या	अंकित मूल्य रु में	अंतरण के लिए तय की गई कीमत रु में	वसूल की गई राशि रु में

8	**कंपनी में विदेशी निवेश**		शेयरों की संख्या	प्रतिशत
		अंतरण से पहले		
		अंतरण के बाद		
9	**जहाँ शेयर /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर /डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;**			
	स्टॉक एक्सचेंज का नाम			
	स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत			
9.	**जहाँ शेयर /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर /डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध हैं?**			
	मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कीमत*			
	सनदी लेखाकार के मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत (*/**सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोड़ा जाए)			

अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा **मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/ करते हैं कि :**	
(i)	ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और सही है
(ii)	मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों को धारित करता था/ करते थे
(iii)	मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत कंपनी के शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/हैं। यह

	वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में कार्यरत कंपनी के शेयरों से संबंधित अंतरण नहीं है।
(iv)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का पालन किया गया है।

दिनांक : **घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर**

टिप्पणी: निवासी से अनिवासी को निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को शेयरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है।

लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक : प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी कूट

अनुबंध -10
[भाग-I,खंड-I , पैरा 29]

फॉर्म डीआर
[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(2) देखें]

जीडीआर/एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा फाइल की जानेवाली विवरणी

निर्देश : इस फार्म को पूरा भरकर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

1. कंपनी का नाम
2. पंजीकृत कार्यालय का पता
3. पत्राचार के लिए पता
4. वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है)
5. जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे। यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की गई हों, तो उसके ब्योरे
6. विदेश के डिपाज़िटरी का नाम और पता

7. अग्रणी/ प्रबंधक निवेश/ मर्चेंट बैंकर का नाम और पता

8. निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते

9. भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते

10. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)

11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय सीमा लागू है? अगर हां, तो कृपया ब्योरे दें

	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
12. ईक्विटी पूंजी के ब्योरे		
क) प्राधिकृत पूंजी		
ख) निर्गमित तथा प्रदत्त पूंजी		
i) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित		
ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ समुद्रपारीय निगमित निकायों से इतर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूची तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट की जाए)		
iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकायों द्वारा धारित		
iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित		
ग) कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी का प्रतिशत		

13. क्या निर्गम निजी व्यवस्था आधार पर था? अगर हां, तो निवेशकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें

14. जारी जीडीआर/एडीआर की संख्या
15. जीडीआर/एडीआर पर अंडरलाइंग शेयरों का अनुपात
16. निर्गम से संबंधित खर्चे
    (क) मर्चेंट बैंकरों/अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई/ देय शुल्क
        (i) राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)
        (ii) कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर पर राशि
    (ख) अन्य खर्चे
17. क्या निधियां विदेश में रखी गई हैं? अगर हां, तो बैंक का नाम और पता
18. सूचीबद्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे
    स्टॉक एक्सचेंज का नाम
    ट्रेडिंग शुरूकरने की तारीख
19. एडीआर/जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख
20. उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में)
21. प्रत्यावर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।

ह./-	ह./-
सनदी लेखाकार	कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनुबंध -11
[भाग-I,खंड-I , पैरा 29]

फॉर्म डीआर-तिमाही विवरणी
[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(3) देखें]

तिमाही विवरणी
(भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए)

1. कंपनी का नाम
2. पता
3. जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख
4. जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.

5. उगाही गई कुल राशि
6. तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज
7. निर्गम के खर्चे और कमीशन आदि
8. प्रत्यावर्तित राशि
9. विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे
   (i) बैंक जमा राशियां
   (ii) खजाना बिल
   (iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)
10. अब तक बकाया जीडीआर की संख्या
11. तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत
12. तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई जीडीआर की कीमत

प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को शेयर मार्केट अथवा स्थावर संपदा में निवेश नहीं किया गया हैं।

ह./-
सनदी लेखाकार

ह./-
कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनुबंध-12

आईपीआई
(भाग-III, पैरा)

भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा अर्जित अचल संपत्ति की घोषणा

निर्देश:

अचल संपत्ति अधिग्रहण के 90 दिनों के भीतर यह घोषणा भरकर दो प्रतियों में सीधे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक , भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी निवेश प्रभाग) केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत की जाए)

प्रलेखन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999(1999 का 42) (फेमा) की धारा 6(6) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रतियां।

1.		अधिग्रहणकर्ता जिसने कि अचल संपत्ति अधिग्रहीत की है का नाम और		

		पूरा पता		
2.	(क)	अचल संपत्ति के विवरण	(क)	
	(ख)	राज्य,टाउन, तथा महापालिका का नाम / सर्वे नंबर देते हुए उसकी सही सही स्थिति	(ख)	
3.	(क)	प्रयोजन जिसके लिए अचल संपत्ति अधिग्रहीत की गई है	(क)	
	(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनुमति पत्र , यदि कोई हो , की संख्या और तारीख	(ख)	
4.		अचल संपत्ति अधिग्रहण की तारीख		
5.	(क)	अचल संपत्ति किस प्रकार अर्थात खरीद द्वारा अथवा लीज पर अधिग्रहीत की गई है:	(क)	
	(ख)	बेचने /लीज पर देने वाले की राष्ट्रीयता और पता	(ख)	
	(ग)	खरीद-कीमत की राशि और धन-स्रोत	(ग)	

मैं/हम एतत्द्वारा घोषणा करते हैं कि

(क) ऊपर दिये गये ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

(ख) उपर्युक्त संपत्ति का कोई हिस्सा लीज अथवा किराये पर नहीं दिया गया है और नहीं किसी अन्य पार्टी द्वारा उसे अन्यथा उपयोग में लाने की अनुमति दी गई है ।

संलग्नक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

नाम:-------------------------------------

मुहर-------------------------------------

स्थान:---------------------------------- पदनाम ---------------------------------

दिनांक:--------------------------------- ---
-

अनुबंध-13

एफएनसी I
(भाग-III, पैरा I)

अ. आवेदक के लिए सामान्य निर्देश:

केवल आवेनपत्र भरा जाये और उसे सीधे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक , भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी निवेश प्रभाग) केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए)

आ. प्रलेखन :

i) भारतीय दूतावास /जिस देश में पंजीकरण कराया गया हो ,वहाँ के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित निगमन/पंजीकरण अथवा एसोसिएशन के ज्ञापन तथा अंतर्नियमों के प्रमाणपत्र का अंग्रेजी पाठ ।

ii) आवेदक कंपनी /फर्म का लेखा परीक्षण किया हुआ अद्यतन तुलन-पत्र ।

iii) परियोजना कार्यालय के मामले में , इस बात के सबूत के लिए दस्तावेजी साक्ष्य कि परियोजना के लिए द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय अंतर-राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से निधियों की व्यवस्था की गई है अथवा परियोजना संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूरी की गयी है अथवा भारतीय कंपनी को संबंधित परियोजना के लिए किसी वित्तीय संस्था अथवा भारत की किसी बैंक द्वारा मीयादी औण मंजूर किया गया है ?

1.	(i)	आवेदक कंपनी /फर्म का पूरा नाम व पता (उल्लेख करें कि क्या आवेदक प्रोप्राइटरी संस्था है अथवा पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम है अथवा कोई अन्य संगठन)	
	(ii)	पंजीकरण /समावेशन की तारीख व स्थान	
2.		**पूँजी के ब्योरे**	
	(i)	प्रदत्त पूँजी	-------------के प्रत्येक हिस्से में विभाजित
	(ii)	लेखा परीक्षण किए हुए पिछले तुलन-पत्र के अनुसार निर्बंध प्रारक्षित निधियां	
3.		आवेदक के कार्य-कलापों का संक्षिप्त ब्योरा	
4.		**संपर्क /शाखा कार्यालय के लिए**	

(i) पिछले तीन वर्षों में हर साल के दौरान भारत को आयात किए गए और/ अथवा भारत से निर्यात किए गए माल की कीमत

(क) भारत को आयात

(ख) भारत से निर्यात किए गए माल की कीमत

(ii) कंपनी की आवश्यकताओं, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए भारत में की गयी वर्तमान व्यवस्थाओं के ब्योरे

(iii) प्रस्तावित संपर्क/ शाखा कार्यालय के ब्योरे

(क) कार्यालय द्वारा किए गए /प्रदान की गई प्रस्तावित कार्य-कलापों/ सेवाओं के ब्योरे

(ख) वह स्थान जहाँ कार्यालय खोला जायेगा ।

5. **परियोजना कार्यालय के लिए**

यदि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए अथवा आवेदक द्वारा कोई करार पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से कार्यालय खोला जाना है तो

(i) भुगतान की शर्तों/अवधि आदि शामिल करते हुए परियोजना /करार के ब्योरे

(ii) वह स्थान जहाँ कार्यालय खोला जायेगा ।

(iii) क्या परियोजना कार्यालय का पूरा निधीयन आवक विप्रेषणोंअतवा अथवा आ (iii) में विनिर्दिष्ट अन्य किसी स्रोत से किया गया है ?

6. अपने आवेदनपत्र के समर्थन में यदि आवेदक कंपनी कोई अन्य जानकारी देना चाहे

(i) दिए गये उपर्युक्त ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं ।

(ii) हमारा कारोबार ऊपर कॉलम 4 (iii) (क) अवा 5 में निर्दिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा ।

(iii) यदि हम अपने कार्यालय की जगह बदलते हैं तो उसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देंगे ; और

(iv) यदि हमें अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नियम तथा शर्तों का पालन करेंगे ।

स्थान:	आवेदक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक :	नाम :

परिशिष्ट

भारत में विदेशी निवेश/अचल संपत्ति का अभिग्रहण /भारत में शाखा कार्यालय/संपर्क और परियोजना कार्यालय खोलने तथा स्वामित्ववाली/साझेदारी फर्मों में निवेश के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में शामिल महत्वपूर्ण परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची

सं.	अधिसूचना और परिपत्र	दिनांक
1.	सं.फेमा 32/2000-आरबी	दिसंबर 26, 2000
2.	सं.फेमा 35/2001-आरबी	फरवरी 16, 2001
3.	सं.फेमा 41/2001-आरबी	मार्च 2, 2001
4.	सं.फेमा 45/2001-आरबी	सितंबर 20, 2001
5.	सं.फेमा 46/2001-आरबी	नवंबर 29, 2001
6.	सं.फेमा 50/2002-आरबी	फरवरी 20, 2002
7.	सं.फेमा 55/2002-आरबी	मार्च 7, 2002
8.	सं.फेमा 62/2002-आरबी	मई 13, 2002
9.	सं.फेमा 64/2002-आरबी	जून 29, 2002
10.	सं.फेमा 65/2002-आरबी	जून 29, 2002
11.	सं.फेमा 76/2002-आरबी	नवंबर 12, 2002
12.	सं.फेमा 85/2003-आरबी	जनवरी 17, 2003
13.	सं.फेमा 93/2003-आरबी	जून 9, 2003
14.	सं.फेमा 94/2003-आरबी	जून 18, 2003
15.	सं.फेमा 100/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
16.	सं.फेमा 101/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
17.	सं.फेमा 106/2003-आरबी	अक्तूबर 27, 2003
18.	सं.फेमा 108/2003-आरबी	जनवरी 1, 2004
19.	सं.फेमा 111/2004-आरबी	मार्च 6, 2004

20.	सं.फेमा 118/2004-आरबी	जून 29, 2004
21.	सं.फेमा 122/2004-आरबी	अगस्त 30, 2004
22.	सं.फेमा 125/2004-आरबी	नवंबर 27, 2004
23.	सं.फेमा 130/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
24.	सं.फेमा 131/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
25.	सं.फेमा 136/2005-आरबी	जुलाई 19, 2005
26.	सं.फेमा 137/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
27.	सं.फेमा 138/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
28.	सं.फेमा 149/2006-आरबी	जून 9, 2006
29.	सं.फेमा 153/2006-आरबी	31 मई 2007
30.	सं.फेमा 167/2007-आरबी	23 अक्तूबर 2007
31.	सं.फेमा 170/2007-आरबी	13 नवंबर 2007
32.	सं.फेमा 179/2008-आरबी	22 अगस्त 2008

1.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 14	26 सितंबर , 2000
2.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 6, 2001
3.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	फरवरी 22, 2001
4.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	अप्रैल 28, 2001
5.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	नवंबर 29, 2001
6.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	फरवरी 13, 2002
7.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	मार्च 11, 2002
8.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	जुलाई 2, 2002
9.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	जुलाई 15, 2002
10.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	सितंबर 12, 2002
11.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	नवंबर 1, 2002
12.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	नवंबर 12, 2002
13.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	नवंबर 12, 2002
14.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	नवंबर 23, 2002
15.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56	नवंबर 26, 2002
16.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.67	जनवरी 13, 2003
17.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	जनवरी 13, 2003
18.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	जनवरी 13, 2003
19.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	फरवरी 3, 2003

20.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.88	मार्च 27, 2003
21.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.101	मई 5, 2003
22.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 20, 2003
23.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	सितम्बर 1, 2003
24.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	सितम्बर 16, 2003
25.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	सितम्बर 23, 203
26.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	अक्तूबर 17, 2003
27.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	नवम्बर 14, 2003
28.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	दिसम्बर 3, 2003
29.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	दिसम्बर 3, 2003
30.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	दिसम्बर 8, 2003
31.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	दिसम्बर 8, 2003
32	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	दिसंबर 17, 2003
33.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	दिसम्बर 20, 2003
34.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	फरवरी 3, 2004
35.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.67	फरवरी 6, 2004
36.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.89	अप्रैल 24, 2004
37.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 13, 2004
38.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	अक्तूबर 1, 2004
39.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	अक्तूबर 1, 2004
40.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	अक्तूबर 4, 2004
41.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	अप्रैल 25, 2005
42.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	मई 17, 2005
43.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	जुलाई 29, 2005
44.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.06	अगस्त 11, 2005
45.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.07	अगस्त 17, 2005
46.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.08	अगस्त 25, 2005
47.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 30, 2005
48.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 05, 2005
49.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	नवंबर 11, 2005
50.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 25, 2006
51.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	जुलाई 28, 2006
52.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	अगस्त 16, 2006
53.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	नवंबर 16, 2006
54.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	दिसंबर 22, 2006

55.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	फरवरी 8, 2007
56.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	अप्रैल 20, 2007
57.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.62	24 मई, 2007
58.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	31 मई , 2007
59.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	8 जून 2007
60.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.74	8 जून 2007
61.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.2	19 जुलाई 2007
62.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	14 दिसंबर 2007
63.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22	19 दिसंबर 2007
64.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	31 दिसंबर 2007
65.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	28 अप्रैल 2008
66.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	28 अप्रैल 2008
67.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	30 मई 2008
68.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.02	31 जुलाई 2008
69.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	17 अक्तूबर 2008
70.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	22 अप्रैल 2009